झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र
वर्ग–02

28,अग्रहायण,1945 (श०)
निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, **मंगलवार,** दिनांकः–......................................को
19 दिसम्बर, 2023 (ई०)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
49-	अ०सू०–08	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	डिग्री कॉलेज संचालित करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	11-12-23
50-	अ०सू०–14	श्री दशरथ गागराई,	रिक्त पदों पर पदस्थापन।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
51-	अ०सू०–29	श्री भानु प्रताप शाही,	पारा शिक्षकों का स्थायीकरण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
52-	अ०सू०–34	श्री किशुन कुमार दास,	पर्यटकीय सुविधा बहाल करना।	प०क०सं०खे० एवं युवा कार्य	14-12-23
53-	अ०सू०–09	श्री बिरंची नारायण,	उच्च विद्यालय का कमरा निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
54-	अ०सू०–32	श्री मनीष जायसवाल,	त्रुटियों को दूर करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
55	अ०सू०–62	श्री विकास कुमार मुण्डा,	नामांकन प्रक्रियाओं में संशोधन।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
#56-	अ०सू०–48	श्री सुदिव्य कुमार,	अतिकमण मुक्त करना।	वन,पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	14-12-23
57-	अ०सू०–49	श्री उमाशंकर अकेला,	प्रशासनिक स्वीकृति।	पर्य०कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	14-12-23
*58-	अ०सू०–10	श्री आलोक कुमार चौरसिया,	टीचर ट्रैनिंग स्कूल खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23

कृ०पृ०उ०.........2/–

01	02	03	04	05	06
59-	अ0सू0-36	श्री सरयू राय,	स्टार्टअप का लाभ।	सू0प्रौ0 एवं ई-गवर्नेस	14-12-23
60-	अ0सू0-04	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	अध्यक्ष पद का चयन।	खान एवं भूतत्व	11-12-23
61-	अ0सू0-53	श्री सुदिव्य कुमार,	क्षति कम करना।	वन,पर्या0एवं जलवायु परिवर्तन	14-12-23
62-	अ0सू0-56	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	विस्थापितों को भूमि हस्तानांतरण।	खान एवं भूतत्व	14-12-23
63-	अ0सू0-01	श्री अमित कुमार मंडल,	नामांकन कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11-12-23
64-	अ0सू0-60	श्री राजेश कच्छप,	खाली पदों को भरना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
65-	अ0सू0-40	श्रीमती अर्पणासेन गुप्ता,	स्कूल भवन बनवाना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
66-	अ0सू0-03'क'	श्री अमित कुमार मंडल,	विवरणी उपलब्ध कराना।	खान एवं भूतत्व	14-12-23
67-	अ0सू0-44	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	शैक्षणिक विकास करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
68-	अ0सू0-54	श्री रामचन्द्र सिंह,	डिग्री महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
69-	अ0सू0-39	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	वृक्ष लगाना।	वन,पर्या0एवं जलवायु परिवर्तन	14-12-23
70-	अ0सू0-41	श्री प्रदीप यादव,	नियमावली में संशोधन।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
71-	अ0सू0-21	श्री अमित कुमार यादव,	पार्क निर्माण करना।	वन,पर्या0एवं जलवायु परिवर्तन	14-12-23
72-	अ0सू0-47	श्रीमती सुनिता चौधरी,	केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
73-	अ0सू0-13	डॉ0लम्बोदर महतो,	प्रशासनिक स्वीकृति देना।	पर्य0कला0सं0 खे0कू0एवं युवा कार्य	14-12-23
74-	अ0सू0-06	श्री कमलेश कुमार सिंह,	भवन को हस्तगत् कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	11-12-23
75-	अ0सू0-27	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	स्थायी भवन का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
**76-	अ0सू0-12	डॉ0लम्बोदर महतो,	आयोग का गठन करना।	उद्योग	14-12-23
77-	अ0सू0-30	सुश्री अम्बा प्रसाद,	योग्यता प्रदान करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
78-	अ0सू0-59	श्री नारायण दास,	अनुदान देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
79-	अ0सू0-57	श्रीमती शिल्पी नेहा			

01	02	03	04	05	06
80-	अ०सू०-17	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	बुनकरों का उत्थान।	खान एवं भूतत्व	14-12-23
81-	अ०सू०-38	श्रीमती पुष्पा देवी,	नियमित करने पर विचार।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
82-	अ०सू०-50	श्री निरल पुरती,	विद्यालय का उत्क्रमण करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
83-	अ०सू०-05	डॉ०कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	डिग्री महाविद्यालय का स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	11-12-23
84-	अ०सू०-61	श्री सरयू राय,	हाथियों का वास स्थल का संवर्धन।	वन,पर्या०एवं जलवायु परिवर्तन	14-12-23
85-	अ०सू०-18	डॉ०इरफान अंसारी,	कॉलेज की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
86-	अ०सू०-19	श्री मनीष जायसवाल,	पोषाक राशि का भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
87-	अ०सू०-43	श्री निरल पुरती,	स्वीकृति देना।	पर्य०कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	14-12-23
88-	अ०सू०-23	श्री केदार हजरा,	शिक्षा प्रारम्भ करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
89-	अ०सू०-31	सुश्री अम्बा प्रसाद,	बालू घाट चालू करना।	खान एवं भूतत्व	14-12-23
90-	अ०सू०-15	श्री अनन्त कुमार ओझा,	अभ्यार्थियों की नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
91-	अ०सू०-35	श्रीमती पुष्पा देवी,	पर्यटन क्षेत्र को विकसित करना।	पर्य०कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	14-12-23
92-	अ०सू०-20	श्री भानु प्रताप शाही,	निर्णय पर रोक लगाना।	वन,पर्या०एवं जलवायु परिवर्तन	14-12-23
93-	अ०सू०-16	डॉ०इरफान अंसारी,	पदों का सृजन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
94-	अ०सू०-45	श्री रामचन्द्र सिंह,	घाट का निर्माण।	पर्य०कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	14-12-23
95-	अ०सू०-03	श्री प्रदीप यादव,	विद्यालय को उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11-12-23
96-	अ०सू०-42	श्री कमलेश कुमार सिंह,	विद्यालय का उत्क्रमण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
97-	अ०सू०-22	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	परीक्षा का आयोजन करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
##98-	अ०सू०-07	डॉ०कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	दोषियों पर कार्रवाई।	वन,पर्या०एवं जलवायु परिवर्तन	11-12-23

01	02	03	04	05	06
+99-	अ०सू०-26	श्री अमित कुमार यादव,	शिक्षण कार्य प्रारम्भ करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
100-	अ०सू०-55	श्रीमती सुनीता चौधरी,	राज्य सरकार द्वारा संचालित करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
101-	अ०सू०-52	श्री उमाशंकर अकेला,	विद्यालय को अपग्रेड करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
102-	अ०सू०-28	श्री विनोद कुमार सिंह	रिक्त पदों पर नियुक्ति करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
103-	अ०सू०-51	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	निर्माणाधीन भवन को पूर्ण करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
104-	अ०सू०-11	श्री बिरंची नारायण,	विद्यालय को अपग्रेड करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-12-23
105-	अ०सू०-25	श्री समीर कुमार मोहंती,	नियुक्ति करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
106-	अ०सू०-33	श्री किशुन कुमार दास,	महाविद्यालय का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
107-	अ०सू०-02	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11-12-23
108-	अ०सू०-24	श्री विनोद कुमार सिंह,	रिक्त पदों पर नियुक्ति।	वन,पर्या०एवं जलवायु परिवर्तन	14-12-23
109-	अ०सू०-37	श्री दीपक विरुआ,	खाद्यानों की निलामी।	खान एवं भूतत्व	14-12-23
110-	अ०सू०-46	श्री सुदेश कुमार महतो,	डिग्री कॉलेज खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	14-12-23
111-	अ०सू०-58	श्री विकास कुमार मुंडा,	खेल प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।	पर्य०कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	14-12-23

नोटः-#56-वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापांक-4642, दिनांक-15-12-2023 द्वारा जल संसाधन विभाग में स्थानांतरित।

*58-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-2504,दिनांक-15-12-2023 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

66-अ०सू०-03'क'-योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक-1158,दिनांक-12-12-2023 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग में स्थानांतरित के पश्चात् प्रश्न वर्ग-01 से 02 में स्थानांतरित।

**76-उद्योग विभाग के ज्ञापांक-1629,दिनांक-15-12-2023 के द्वारा राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित ।

##98-वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापांक-4644,दिनांक-15-12-2023 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित ।

+99-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक-2723,दिनांक-15-12-2023 द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थानांतरित।

राँची,
दिनांक-19 दिसम्बर,2023 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०प्रश्न-03/2020-......2434......../वि०स०,राँची,दिनांकः-.18/12/23......

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०प्रश्न-03/2020-......2434......../वि०स०,राँची,दिनांकः-.18/12/23......

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०प्रश्न-03/2020-......2434...../वि०स०,राँची,दिनांकः-.18/12/23.

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा/आश्वासन शाखा एवं J.V.S T,V झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

18.12.23

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–08 का उत्तर :–

कमांक	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा कुछ चिन्हित जिलों एवं प्रखण्डों में डिग्री कॉलेजों की स्थापना का संकल्प विगत सत्रों में ले चुकी है, जिसके तहत रामगढ़ जिलान्तर्गत माण्डू डिग्री कॉलेज की स्थापना का घोषणा भी की जा चुकी है ;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी माण्डू डिग्री कॉलेज आज तक अस्तित्व में नहीं आ पाया है, जिससे स्थानीय छात्र/छात्राओं को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 321/बजट दिनांक 07.02.2023 के द्वारा डिग्री महाविद्यालय माण्डू का Site Specific DPR तैयार करने के लिए झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची को निदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची को DPR प्राप्त हो गया है, जिसपर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही रामगढ़ जिलान्तर्गत रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़ (अंगीभूत महाविद्यालय), छोटानागपुर कॉलेज, रामगढ़ तथा इंदिरा गॉधी श्रमिक महाविद्यालय, माण्डू, रामगढ़ (संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय) संचालित है, जिसमें छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन का कार्य किया जाता है।
03	यदि उपर्युकत खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब माण्डू डिग्री कॉलेज को संसाधन युक्त कर पूर्णरूपेण संचालित करने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	डिग्री महाविद्यालय माण्डू का तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त DPR झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची से प्राप्त होने के पश्चात् इसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक: 01/वि0स0–107/2023 2522 / रॉची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके पत्रांक –2185, दिनांक 11.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-14 का उत्तरः-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत कोल्हान विश्वविद्यालय के खरसावाँ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के पदों पर पदस्थापन नहीं किया गया है, जिसके कारण पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि खरसावॉ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के 17 पद सृजित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सहायक प्रोफेसर एवं सह प्राध्यापक के कुल 17 पद सृजित है।
3.	क्या यह बात सही है कि खरसावॉ डिग्री कॉलेज केवल प्रभारी प्राचार्य के भरोसे संचालित है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खरसावॉ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के पदों पर शीघ्र पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के पत्रांक-1011 दिनांक-16.08.2023 द्वारा कुल 281 नियमित एवं 34 बैकलॉग सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक-01/वि0स0-118/2023 2532 रॉची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक-2261 दिनांक-14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

(51)

1738
18/12/2023

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री भानू प्रताप शाही, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–29

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में 64 हजार पारा शिक्षक कार्यरत है जिसमें हाल ही में राज्य सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि राज्य के सभी पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करते हुए एक समान वेतनमान दिया जायेगा;	अस्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है, कि सरकार के घोषणा किये हुए लगभग 7 से 8 माह बीत जाने के बाद भी स्थायीकरण एवं समान वेतनमान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करते हुए समान वेतनमान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक को वेतनमान देने में निम्नवत् कठिनाई स्पष्ट किया गयाः– i. सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक का चयन संबंधित विद्यालय के ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आरक्षण के प्रावधान के बिना किया गया है। ii. वेतनमान लागू करने के लिए पद सृजन आवश्यक है एवं पद सृजन के लिए रोस्टर का अनुपालन आवश्यक है। 2. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के द्वारा वाद संख्या WP(S) 315/2016 (सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) के मामले को भी खारिज किया गया था। 3. इसके विरूद्ध वादी सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों के द्वारा माननीय उच्चत्तम न्यायालय में SLP(C) No. 4881/2023 दायर की गई, माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित वाद संख्या 315/2016 एवं अन्य सदृश्य मामलों के सदंर्भ में दिनांक 16.12.2022 को पारित न्यायादेश में भी अंतरिम राहत नहीं दी गई है। 4 माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड वाद संख्या WP(S) 315/2016 (सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) एवं अन्य सदृश्य 13 याचिकाओं में निम्नांकित बिन्दुओं को मुददा बनाया गयाः– *i. Whether the writ petitioners, who are working as para teachers on contract basis under a scheme, are entitled for regularization in service?* *ii. Whether the petitioners-para teachers can be held entitled for pay-scale at par with the regular Assistant teaches on the Principle of 'equal pay for equal work?* *iii. Whether the writ petitioners who are working aws para-teachers, in alternative, are entitled to get minimum of pay-scale?* उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित मुद्दे की सुनवाई कर मंतव्य अंकित किया है कि –

		18. ..... As a referred above, is of view that the writ petitioners are also not entitled for entitled for regularization in Service. *19. ..... The court as per the discussion made herein above is the view that the writ Court sitting under Article 226 of the Constitution of India cannot issue direction upon the State to extend the benefit to the writ petitioners for granting 'equal pay for equal work'.* *20. ...... The Court on the basis of discussion made herein above is of the view that the writ petitioner are also not entitled for minimum of pay scale.* माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड ने अपने पारित आदेश की कंडिका–21 में अंकित है कि – *21. This Court, after going into the facts of the given cases as also after going through the factual aspect of the case decided in batch cases i.e., W.P.(S) No. 315 of 2016 and analogous cases. Therefore, the instant cases also dismissed.* *22. Accordingly, the instant writ petitions stand dismissed in terms of order dated 16.12.2022 passed in W.P.(S) No. 315 of 2016 and analogous cases.* 5. इस प्रकार संदर्भित मामले के 13 याचिकाओं को खारिज किय गया है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा नियमितीकरण से संबंधित अन्य दायर याचिका WP(S) No. 5010/2019 का खारिज कर दिया है – *"29..... It was not as per qualification prescribed for a teacher nor on designation of teacher nor in pay scale of teachers. Thus they could not be regularized as teachers. Regularization could only be mere irregularity. The exceptions carved out by this Court do not apply to the case of the present nature."* *As a cumulative effect of the aforesaid judicial pronouncement, Resultantly, this writ petition stands dismissed.* 6. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारा शिक्षकों के नियमितीकरण के मामले को खारिज कर दिया है। अतः पारा शिक्षकों का नेयमितीकरण वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है।

Arun
18.12.23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16 / वि2–203 / 2023./1738. / राँची, **दिनांक..18/12........ / 2023**

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2253 दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun
18.12.23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

57

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं० अ०सू०–34 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में खरहरी पहाड़ पर स्थित खरीहरी माता का मंदिर 500 वर्ष पुराना है जहाँ स्थानीय भक्तों सहित बाहर के पर्यटकों द्वारा पूजा अर्चना सालोभर की जाती है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पहाड़ पर पर्यटकीय सुविधा नहीं रहने के कारण आने–जाने वाले लोगों को काफी परेशनियों का सामना करना पड़ता है,	3.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खरहरी पहाड़ पर पर्यटकीय सुविधा बहाल कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?		प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्नाधीन स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति से विभाग को अनुशंसा प्राप्त है। उक्त स्थल को राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद् की अगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/102/2023 2281 /राँची, दिनांक 18-12-2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2288/वि०स०, दिनांक–14/12/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

सरकार के उप सचिव

जितेन्द्र

3358
18/12/2023

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बाधाडीह, जहाँ करीब 767 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, वहां खोरठा, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक नहीं हैं और विद्यालय का अपना खेल मैदान भी नहीं है तथा विद्यालय की चहारदीवारी नहीं होने से रात को यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जो स्कूल के पाईपलाइन इत्यादि को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं, साथ ही साथ यहाँ पेयजल और शौचालयों की भी बेहतर व्यवस्था नहीं है तथा कमरों की कमी के कारण एक कक्षा में करीब 80 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है;	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बाधाडीह में कक्षा–1 से 12 तक कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या 759 है। इस विद्यालय में विषयवार स्नातक प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के : **हिन्दी–01, अंग्रेजी–01, संस्कृत–01, गणित–01, जीव विज्ञान/रसायन शास्त्र–01, भूगोल–01, अर्थशास्त्र–01, गृह विज्ञान–01 कुल 09** शिक्षक कार्यरत हैं। प्रारंभिक विद्यालय के 02 सहायक शिक्षक एवं 06 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। अतएव् इस विद्यालय में प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर के कुल 17 सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, जिसमें दिनांक 28.06.2022 को जिला शिक्षा स्थापना समिति, बोकारो की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार श्री सुमन कुमार, खोरठा विषय में इस विद्यालय में पदस्थापित सहायक शिक्षक को उत्क्रमित उच्च विद्यालय, शिबुटांड में प्रतिनियुक्त किया गया है। इस विद्यालय में चहारदिवारी निर्माणाधीन है। विद्यालय परिसर के तीन तरफ चहारदिवारी का निर्माण हो चुका है। इस विद्यालय को कुल 02 एकड़ भूमि उपलब्ध है। खाली भूमि को खेल मैदान के रूप में उपयोग किया जाता है। इस विद्यालय में कुल 19 कमरे हैं। पेयजल हेतु रनिंग वाटर एवं हैंड वाशिंग 11 यूनिट उपलब्ध है। छात्र–छात्राओं के लिए कुल 10 शौचालय उपलब्ध हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि इन सभी समस्याओं से दिनांक 22 जुलाई 2023 को अध्ययनरत विद्यार्थी ने स्थानीय जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है;	उत्तर खण्ड–01 में सन्निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थी हित में इसी वित्तीय वर्ष में कंडिका–01 में वर्णित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बाधाडीह, बोकारो की उक्त समस्याओं को दूर करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर खण्ड–01 में सन्निहित है।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–239 / 2023 3358 राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री मनीष जायसवाल, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–32

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री**
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल स्वीकृत पद की संख्या–3226 के विरूद्ध कुल 3096 पद वर्षों से रिक्त है जिसमें हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, देवघर सहित कई जिले ऐसे है जहाँ के एक भी मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अधिकांश विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक का पदस्थापन नहीं है, लेकिन कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियमित पदस्थापित हैं। वर्त्तमान में नियमित/प्रभारी प्रधानाध्यापक के माध्यम से कार्य लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है, कि राज्य में खण्ड–01 में वर्णित पद पर शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिलने का एक मात्र कारण राज्य में उक्त पद से सम्बंधित नियमावली में त्रुटियों का होना है, जिसे सरकार द्वारा अबतक दूर नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक। माननीय न्यायालयों द्वारा पारित न्यायादेशों एवं शिक्षक संघों के मांग के आलोक में आवश्यक संशोधन एवं नयी नियमावली के गठन के निमित्त समिति का गठन किया गया है ताकि शिक्षकों के हित में निर्णय लिया जा सके।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के उक्त विद्यालयों में खण्ड–01 में वर्णित पद रिक्त रहने के कारण प्राथमिक एवं मध्य दोनों स्तर के विद्यालयों में शैक्षणिक के साथ–साथ प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रही है, जिसका खामियाजा गरीब छात्रों के साथ–साथ शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विद्यालयों में नियमित/वरीय शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहें हैं, जिससे प्रशासनिक/पठन–पाठन कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित पदों से सम्बंधित नियमावली की त्रुटियों का चालू शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक दूर कर उक्त पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्ड में सन्निहित है।

Arun
18.12.23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि2–206/2023..1742/राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2254 दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री विकास कुमार मुण्डा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–62 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बी0एड0 के छात्रों को 1 माह स्कूल ऑबजर्वेशन और तीन माह टीचिंग प्रेक्टिस करनी पड़ती है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि ऑबजर्वेशण एवं ट्रेनिंग हेतु विद्यालय का चयन बगैर छात्रों का सलाह लिए JCERT द्वारा किया जाता है ;	स्वीकारात्मक। ऑबजर्वेशन एवं ट्रेनिंग हेतु विद्यालय का चयन ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा उपलब्ध कराए गए विषयवार छात्र सूची के आधार पर किया जाता है। अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन इस हेतु बनाए गए मानक एवं निर्गत दिशा निर्देशों के साथ–साथ NCTE के नियमानुसार जे0सी0ई0आर0टी0 के द्वारा किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि अक्सर छात्रों को अपने घर अथवा विद्यालय से ट्रेनिंग हेतु काफी दूर का विद्यालय दे दिया जाता है जैसे की डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा के छात्रों को उर्दू मिडिल स्कूल, नगड़ी जिसके बीच की दूरी करीबन 25 कि0मी0 है एवं तथागत शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, धनबाद का सेंटर मिडिल स्कूल सहराज दे दिया गया है जिसके बीच की दूरी करीबन 30 कि0मी0 है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अधिकांश प्रशिक्षुओं को ग्रामीण क्षेत्र के अधिक संख्या वाले विद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है ताकि उन्हें बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अधिक संख्या में छात्र भी लाभान्वित हो सके।
4.	क्या यह बात सही है कि बी0एड0 में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, ऐसी महिला जिसके बेहद छोटे बच्चे है भी पढ़ाई करते है और अगर इतना दूर ट्रेनिंग हेतु उन्हे भेज दिया जाये तो वो आर्थिक और मानसिक दोनो रूप से परेशान होना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बी0एड0 / डी0एल0एड0 प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा जो सूची जे0सी0ई0आर0टी0 को भेजी जाती है, उसमें अगर किसी प्रशिक्षु की समस्या (दिव्यांग या अन्य गंभीर कारण) अंकित होती है तो ऐसी स्थिति में जे0सी0ई0आर0टी0 द्वारा प्रशिक्षु को यथा सम्भव नजदीकी विद्यालय को आवंटित किया जाता है। विद्यालय का आवंटन कर दिए जाने पर अगर प्रशिक्षुओं की आर्थिक समस्या / दिव्यांग तात्कालिक चिकित्सीय समस्या / अन्य समस्या पर सम्यक विचार करते हुए यथासंभव प्रशिक्षु की इच्छित विद्यालय को आवंटित करने का प्रयास किया जाता है।

कृ0पृ0उ0

5.	क्या यह बात सही है कि PHD नामांकन की प्रक्रिया में काफी अनियमितता बरती जाती है जिस संबंध में मैंने पत्रांक–670, दिनांक 30/10/2023 को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को जाँच एवं कार्यवाही हेतु पत्र लिखा था जिसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ;	अस्वीकारात्मक। सभी राजकीय विश्वविद्यालयों से NET, JRF उत्तीर्ण बच्चों को विश्वविद्यालयों में Ph.D पंजीयन करवाने को लेकर हो रही समस्याओं से संबंधीत मामले की आवश्यकता जाँच करवाकर जाँच प्रतिवेदन की माँग विभागीय पत्रांक–2516, दिनांक 16.12.2023 के द्वारा की गई है। झारखण्ड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में Ph.D में नामांकन हेतु Jharkhand Eligibility Test (JET) नियमावली का गठन कर लिया गया है एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संचिका मंत्रिपरिषद एवं निगरानी विभाग को पृष्ठांकित की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बी0एड0 के छात्रों को ट्रेनिंग हेतु उन्हे ऐसे विकल्प देने का इरादा रखती है ताकि वो अपने घर से महज 5 कि0मी0 के अंदर के विद्यालय में ट्रेनिंग कर पाए और PHD नामांकन की प्रक्रिया में हो रही अनियमितता को दुरूस्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक की आवश्यकता है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु भविष्य में शिक्षक बनेंगे, इस तथ्य को भी दृष्टिपथ में रखते हुए उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों जहाँ छात्रों के अनुपात में शिक्षक की कमी है, में अभ्यास पाठ के लिए भेजा जा रहा है। जिला में अनेक ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ छात्र के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कम है। बी0एड0/डी0एल0एड0 में नामांकित प्रशिक्षुओं को अभ्यास पाठ संचालन हेतु यदि इस तरह के विद्यालयों को आंवटित किया जाता है तो प्रशिक्षुओं की प्रासंगिकता अधिक होती है तथा शिक्षक शिक्षण कार्य से वंचित नहीं होते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक–198, दिनांक 09.02.2023 द्वारा सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय को आदेश दिया गया है कि आवागमन में प्रशिक्षुओं को यदि कोई समस्या हो तो इसके लिए वाहन आदि व्यवस्था संबंधित संस्थान के द्वारा अपने स्तर से की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

ज्ञापांक–01/वि0स0–112/2023 2529/ रॉची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2303 दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

श्री उमा शंकर अकेला स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–19.12.2023 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–49 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री उमा शंकर अकेला, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बरही अनुमण्डल में अनुमण्डल स्तरीय स्टेडियम का निर्माण होना है, जिसकी निविदा वर्ष 2018 में जिला परिषद के माध्यम से निकाली गई थी, परन्तु जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण संवेदक के साथ एकरारनामा नहीं हो पाया था;	**स्वीकारात्मक।** उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–1414 / वि०, दिनांक–09.08.2017 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव (भूमि विवरणी एवं तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन सहित) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में हजारीबाग के बरही अनुमण्डल के ग्राम–चकुरा में अनुमण्डलीय स्तरीय स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु रू० 3,15,79,900 / – की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अद्यावधि रू० 50.00 लाख का आवंटन उपायुक्त, हजारीबाग को दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2023 में उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा बरही के पंचायत बसरिया के ग्राम पंचमाधव में जमीन उपलब्ध कराया गया है परन्तु निविदा के पाँच वर्ष के पश्चात पुराने प्राक्कलन राशि के अनुसार निर्माण कराना संभव नहीं है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित एवं उपायुक्त कार्यालय, हजारीबाग के ज्ञापांक–157 / रा०, दिनांक–17.01.2023 के द्वारा बरही अंचल के मौजा–कोलंगा, थाना संख्या–129, खाता सं०–19, प्लाट सं०–07, रकबा–05 एकड़, भूमि–गैर मजरूआ खास को बरही अनुमण्डल स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु इस विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण करने की सूचना दी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा विभाग को पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है, परन्तु अभी तक विभाग के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है जिसके कारण स्टेडियम निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** उपायुक्त कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक– 77 / खेल, दिनांक–25.03.2023 के द्वारा बरही अनुमण्डल स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन (प्राक्कलित राशि रू० 3,52,12,600 / –) प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग को उपलब्ध कराई गई है। पुनरीक्षित प्राक्कलन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना संभव हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य० / वि०स०–101 / 2023–2278 / राँची, दिनांक 18.12.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2292 / वि०स०, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/23

सरकार के उप सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–10

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री**
1	क्या यह बात सही है, कि पलामू के सतबरवा प्रखण्ड में सर्वोदय ट्रेनिंग स्कूल की अपनी जमीन प्रचूर मात्रा में है जहाँ अब तक न तो ट्रेनिंग स्कूल का निर्माण किया गया है और न ही निर्माण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल की गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि इस क्षेत्र एक भी ट्रेनिंग स्कूल/महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले लोगों को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल था, वह मृतप्राय हो चुका है। सरकार कहती है कि मनिका में एक ट्रेनिंग स्कूल का स्थापना किया गया है। लहलहे, पोलपोल, सतबरवा, रजडेरवा, पोखराहा तथा नजदीक में लेस्लीगंज के लोगों को दूर मनिका जाकर टीचर ट्रेनिंग के लिए आने–जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण यह क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गरीब बच्चों के परिजन की चिन्ता को दूर करने हेतु नजदीक में ही जहाँ टीचर ट्रेनिंग स्कूल की अपनी जमीन जो ध्वस्त हो चुका है वही पर टीचर ट्रेनिंग स्कूल/महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सतरबरवा को NCC प्रशिक्षण कैम्प के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

Arun
18.12.23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16/वि2–212/2023..1735/राँची, दिनांक....18/12......./2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2262 दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun
18.12.23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–36 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र.	प्रश्नकर्त्ता श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता माननीय प्रभारी मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने ABVIL का गठन कंपनी अधिनियम के तहत् किया है, परन्तु इसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण यह पूर्णतः अकार्यरत है?	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कम्पनी द्वारा राज्य में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना था परन्तु इसका लाभ युवा उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा है?	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य में कितने स्टार्टअप को इसका लाभ मिला है और इस कंपनी के सक्रिय नहीं रहने का कारण क्या है?	State Evaluation Board द्वारा राज्य में अबतक 107 Startups का चयन किया गया है जिसमें 22 Startups को Prototype Fund का 25% वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। वर्त्तमान में CEO, ABVIL का पद रिक्त रहने के कारण इसकी गतिविधियों को संचालित करने में कठिनाई आ रही है। CEO, ABVIL के पदस्थापन की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग
तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : ITSec2/Vidha-Prshn-19/2023/IT -3469 रांची, दिनांक : 18.12-2023

प्रतिलिपि : अंवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0प्र0–2286, दिनांक 14.12.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार पोद्दार)
अवर सचिव।

60

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–04

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जिले में उपलब्ध करायी जा रही जिला खनिज निधि का क्रियान्वयन जिला खनिज निधि ट्रस्ट के माध्यम से विकास योजनाओं को विस्थापित, प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चयन कर कार्य सम्पादित की जाती है जिस (ट्रस्ट) का अध्यक्ष संबंधित जिले के उपायुक्त को बनाया जाता है जिसमें स्थानीय सांसद एवं विधायक सदस्य होते है;	स्वीकारात्मक। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का उद्धेश्य खनन क्षेत्र में खनन से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों तथा क्षेत्र के हित लाभ के लिए योजना का सूत्रण, स्वीकृति व कार्यान्वयन करना है। उक्त ट्रस्ट का अध्यक्ष संबंधित जिले के उपायुक्त होते है तथा माननीय सांसद एवं माननीय विधायक सदस्य होते है।
2.	क्या यह बात सही है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जनहित से जुड़े योजनाओं की उपेक्षा कर जिला के उच्चस्थ पदाधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कार्य योजना बनाकर योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं जिससे विशेषकर खनिज क्षेत्र से विस्थापित प्रभावित क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट अन्तर्गत जन कल्याणकारी योजनाओं का चयन ग्राम सभा के द्वारा कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रबंधकीय समिति के माध्यम से स्वीकृति हेतु शासी परिषद के समक्ष उपस्थापित किया जाता है। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट को सूचारू रूप से चलाने हेतु शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें माननीय सांसद तथा माननीय विधायक सदस्य होते है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला खनिज निधि ट्रस्ट का खनिज क्षेत्र, विस्थापित प्रभावित क्षेत्रों में सर्वागीण विकास हेतु अध्यक्ष के पद पर जनप्रतिनिधियों का चयन कर विकास कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश–F.No.7/9/2021-M, IV, दिनांक–23.04.2021 के प्रावधान के अनुसार जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के न्याय परिषद एवं प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष केवल उपायुक्त हैं।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ0सू0)–118/2023 2128 /एम०, राँची, दिनांकः– 18/12/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–2190 दिनांक–11.12.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.12.2023 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–53 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला सहित राज्य के ग्रामीण एवं वन क्षेत्र के इर्द–गिर्द निवास करने वाले लोगों को हाथियों के प्रवेश और उत्पाद से जानमाल की क्षति हो रही है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। हाथी एक लंबी दूरी तक चलनेवाला वन्यप्राणी (Long Ranging Animal) है एवं इस हेतु उन्हें वन आच्छादित गलियारे की जरूरत होती है तथा इसमें किसी भी प्रकार की बाधा होने पर भोजन की तलाश में आस–पास की मानव बस्ती में विचरण के कारण मानव–हाथी द्वन्द्व की स्थिति उत्पन्न होती है एवं जान–माल की क्षति होने की भी सम्भावना रहती है।
2. क्या यह बात सही है कि क्षति से बचाव हेतु सरकार के पास मुआवजे के अलावा अन्य कोई व्यवस्था नहीं है;	अस्वीकारात्मक। हाथियों के विचरण के क्रम में मानव–हाथी द्वन्द्व की स्थिति उत्पन्न ना हो एवं इससे कम से कम क्षति हो, इस हेतु सुरक्षा के व्यापक निवारक उपाय विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, यथा :– (क) हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को हाथी से बचाव के उपाय यथा– हाथी के आगमन पर क्या करें एवं क्या ना करें, के बारे में प्रशिक्षण एवं प्रचार–सामग्री (Pamphlet) तथा Wallposter के माध्यम से जागरूक किया जाता है। (ख) राज्य में हाथियों के विचरण की निगरानी हेतु Elephant Tracking Mobile App तैयार किया गया है, जिससे नियमित रूप से हाथियों के विचरण एवं प्रवास की वास्तविक स्थिति आस–पास के ग्रामीणों को प्राप्त होती रहती है, जिससे वे सतर्क रहते हैं तथा जान–माल के नुकसान को कम करने में यह सहायक है। (ग) राज्य के विभिन्न प्रमण्डलों में 19 त्वरित कार्य दल (QRT) एवं हाथी प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तौर पर प्रशिक्षित हाथी भगाने वाले दल द्वारा हाथियों को वापस वन–क्षेत्रों में भेजने की कार्रवाई की जाती है। (घ) हाथियों से बचाव तथा उन्हें जंगल की ओर भगाने हेतु वन क्षेत्र के आस–पास के ग्रामीणों के बीच आवश्यक सामग्रियाँ यथा– किरासन तेल, मोबिल, पटाखा आदि का वितरण किया जाता है। (ड.) हाथी के पर्यावास के संवर्धन हेतु प्रभावित जिलों में वनरोपण जिसमें विशेष कर बाँस एवं फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया जाता है तथा हाथियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चेक–डैम, तालाब, Water hole आदि का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ–साथ प्राकृतिक जल श्रोतों का जीर्णोद्धार तथा वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन के कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। (च) राज्य के वनों में बाँस–बखार की लगातार सफाई की जा रही है तथा घास मैदान (Grassland) के विकास का कार्य किया जा रहा है, ताकि हाथियों को जंगल में ही पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो।

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वन क्षेत्र में तार फेंसिग एवं अन्य कारगर उपाय कर ग्रामीणों के क्षति को कम करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कण्डिका–2 में हाथी के विचरण के कारण ग्रामीणों को जान–माल की क्षति कम से कम हो, इसके लिए किए जा रहे उपायों का उल्लेख किया गया है। वन क्षेत्रों में तार फेंसिंग का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न–115/2023–4663 व0प0, दिनांक–18/12/23

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2298, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–56 से संबंधित उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि CBA Act, MMDR Act, MC Rules में प्रभावित क्षेत्रों में उत्खनन के पश्चात् भूमि समतलीकरण कर रैयतों को वापस करने का प्रावधान है;	पूछे गए प्रश्न से संबद्ध प्रावधान निम्नवत् है:– Mineral Concession Rule, 1960 के नियम–29A तथा कोयला मंत्रालय के आदेश दिनांक–28.10.2022 के तहत क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, भारत सरकार तथा Coal Controller Organisation, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार Mine Closure Plan के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकार हैं। Mineral Concession Rule, 1960 के नियम–29A तथा कोयला मंत्रालय के आदेश दिनांक–28.10.2022 के प्रावधानानुसार क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, भारत सरकार तथा Coal Controller Organisation, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार Mine Closure Plan के अनुसार कार्य के पर्यवेक्षण हेतु सक्षम प्राधिकार हैं।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित खनन प्रभावित क्षेत्रों CCL, BCCL, ECL, Iron Ore Couepaeies एवं Others के द्वारा खनन उपरान्त Land Filling कर रैयतों/विस्थापितों/प्रभावितों को अबतक भूमि की वापसी हेतु कोई कदम नहीं उठायी गयी है;	–यथा उपरोक्त–
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों में वर्णित विषय पर ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों?	–यथा उपरोक्त–

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–122/2023 2134 /एम०, राँची, दिनांक:– 18/12/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–2293 दिनांक–14.12.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री अमित कुमार मंडल, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–01

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि जिला गोड्डा के संत थॉमस स्कूल गोड्डा द्वारा वर्ष 2019–20 से वर्ष 2022 तक आर.टी.ई. के तहत एक भी बच्चों का नामांकन नहीं लिया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 के आलोक में निरंतर पत्राचार के बाद स्कूल प्रबंधन नये सत्र 2023 वर्ष में मात्र 8 बच्चों का नामांकन लिया है, जबकि प्रावधान के अनुरूप 25 प्रतिशत नामांकन लेना अनिवार्य है;	वस्तुस्थिति यह है कि निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के नियम–12 (1) (ग) के तहत प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीट पर आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों का नामांकन हेतु वर्ष 2023 में मात्र 10 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो अनुशंसा सहित नामांकन हेतु प्राचार्य, संत थॉमस स्कूल गोड्डा को भेजा गया था। उनके द्वारा कुल 10 बच्चों का निहित नियम के आलोक में नामांकन कर लिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019–20 से वर्ष 2022 तक स्कूल प्रबंधन ने आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों का एक भी नामांकन आर.टी.ई. के तहत जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, गोड्डा के अनुशंसा के बाद भी नहीं लिया है, इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन पर विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है;	जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा का पत्रांक 442 दिनांक 23.02.2023 तथा पत्रांक 518 दिनांक 02.03.2023 द्वारा प्राचार्य, संत थॉमस स्कूल गोड्डा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। प्राचार्य/विद्यालय प्रबंधन, संत थॉमस स्कूल गोड्डा के पत्रांक STS/123/23 दिनांक 27.02.2023 द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा को स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक 2303 दिनांक 14.12.2023 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गई। तत्पश्चात् प्राचार्य/विद्यालय प्रबंधन, संत थॉमस स्कूल गोड्डा के पत्रांक 07/ STSG/2023 दिनांक 14.12.2023 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया। वर्ष 2023 से आर.टी.ई. के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों का नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–2 के आलोक में नामांकन शत प्रतिशत कराना चाहती है एवं खंड–3 में वर्णित बिन्दु पर समुचित कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के नियम–12 (1) (ग) के तहत प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीट पर आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों का नामांकन हेतु वर्ष 2024 में ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों के जॉचोंपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Arun 16.12.23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16/वि2–200/2023..1721../राँची, दिनांक.....16/12...../2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2188 दिनांक 11.12.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun 16.12.23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

64

3357
१८।१२।२०२३

श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–60

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 3994 पद खाली हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल स्वीकृत पद 2133 हैं, जिसमें वर्तमान में 29 प्रधानाध्यापक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पदों को नहीं भरे जाने के कारण शैक्षणिक विकास अवरुद्ध है;	अस्वीकारात्मक। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक–415 दिनांक 25.02.2021 द्वारा प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा माध्यमिक विद्यालय के संचालन का प्रावधान किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पदों को भरने हेतु विभागीय स्तर पर केवल प्रयास किया जाता है, अमली जामा पहनाया नहीं जाता है;	माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड रांची के पत्रांक–2011 दिनांक 21.07.2023 द्वारा राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 677 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत् योजना मद में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को अधियाचना प्रेषित की गई है तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक–4570 दिनांक 08.08.2023 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची को प्रेषित की गई है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति द्वारा (गैर योजना मद में) 390 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–3 में उत्तर सन्निहित है।

18/12/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–231 / 2023......3357...... **राँची, दिनांक**......18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्रीमती अर्पणा सेनगुप्ता, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न
संख्या अ०सू०–40

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के प्रखण्ड एगारकुण्ड अन्तर्गत आर्दश वरीय बुनियादी विद्यालय में वर्ग–01 से वर्ग 08 तक 550 छात्र–छात्राएँ पढ़ाई करते है;	आंशिक स्वीकरात्मक। वर्तमान में धनबाद जिला के प्रखण्ड एगारकुण्ड अन्तर्गत आर्दश वरीय बुनियादी विद्यालय में वर्ग–01 से वर्ग 08 के 544 छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत् हैं।
2	क्या यह बात सही है, कि विद्यालय के भवन जर्जर होने व छत का प्लास्टर गिरने से क्लासरूम में धूप आती है तथा कक्षाओं में बेंच डेस्क नहीं है, जिससे छात्र–छात्राओं की पढ़ाई में बाधा एवं बच्चों के जान–माल का खतरा बना रहता है;	आंशिक स्वीकरात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय में कुल 16 कमरा है जिसमें 10 कमरों में पठन–पाठन का कार्य हो रहा है। छः कमरा जर्जर स्थिति में है जो अनुपयोगी है। छात्र–छात्राओं के लिए 110 बेंच डेस्क उपलब्ध है।
3	क्या यह बात सही है कि कई बार विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस संबंध में आकृष्ट कराया गया है पर अब तक भवन मरम्मती तथा बेंच डेस्क उपलब्ध नहीं कराया गया है;	जर्जर भवन/ कमरा की मरम्मति की कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाँच कराकर उपर्युक्त विद्यालय के जर्जर भवन को ध्वस्त कर नया भवन बनाने या भवन का मरम्मती तथा छात्र–छात्राओं के बेंच–डेस्क चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 एवं 3 के अनुरूप।

18.12.23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि2–205/2023.1733./राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2309 दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.12.23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–03 (क)

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार ने केन्द्र सरकार पर राज्य के कोयला खनन का 1.36 लाख करोड़ बकाया रहने का दावा किया है, लेकिन सरकार के पास दावे कि पुष्टि हेतु आकड़े उपलब्ध नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारत सरकार की अनुषंगी कोयला कम्पनियों पर Common Cause, Washed Coal, Stock Shortage, Grade Change, Surface Rent, Dead Rent इत्यादि मदों में लगभग छियालीस हजार नौ सौ बहत्तर करोड़ रूपये (रू० 46972.06 करोड़) की राशि खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार का बकाया है। खान एवं भूतत्व विभाग अन्तर्गत जिलावार बकाया राशि संबंधित आँकड़े/विवरणी Annexure-"A" के रूप में संलग्न है। इसके अतरिक्त राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड का भूमि मुआवजा संबंधी बकाया कोयला कम्पनियों पर है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्ष–2020 से अबतक केन्द्र द्वारा राज्य को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किन–किन मदो में कितनी राशि आवंटित की गई है, संबंधी विवरणी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित नहीं है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–126/2023 2124 /एम०, राँची, दिनांक:– 18/12/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2266 दिनांक–14.12.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव

Annexure-A

Details of dues on Coal Companies of Govt of India situated in Jharkhand. (In Crore-Rs.)

Sl. No	District	Common Cause	Washed Coal	Stock Shortage	Grade Change	Surface Rent	Dead Rent	Others
01	Hazaribagh	12021.57	4.47	0	0	0.29	0	0
02	Dhanbad	18385.26	380.06	0	0	2.18	5.51	0
03	Chatra	886.86	1214.15	0	0	0	0	0
04	Deoghar	486.15	0	0	0	0	0	0
05	Ranchi	262.50	0	0	0	0	0	0
06	Latehar	100.85	0	0	0	0	0	0
07	Palamu	17.32	0	0	0	0	0	0
08	Dumka	0	0	0	0	0	0	0
09	Ramgarh	6438.19	583.19	0	0	0	0	0
10	Godda	1170.83	0	259.19	0	0	0	0
11	Bokaro	3974.41	210.91	0	0	0	0	0
12	Giridih	364.78	0	0	0	0	0	10.45
13	Pakur	192.38	0	0.48	0.08	0	0	0
Total		**44301.1**	**2392.78**	**259.67**	**0.08**	**2.47**	**5.51**	**10.45**

Grand Total :- Rs. 46972.06 Cr (Rupees Forty Six Thousand Nine Hundred Seventy Two Crore Approx)

D/Director office/Vidhan Sabha/Mayank Sir/Pravez

67

3355
18/12/2023

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू0–44

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण एवं सुदूर जंगल एवं जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास अनुदान के सहारे हैं;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के ग्रामीण एवं सुदूर जंगल एवं जनजातीय क्षेत्रों में समान रूप से सरकारी विद्यालय अवस्थित हैं, जहाँ सरकार द्वारा समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अनुदानित शिक्षा प्रणाली के कारण राज्य के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक विकास की वातावरण बन ही नहीं पाया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार शैक्षणिक विकास के सभी मानकों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षा प्रदान कर रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को वित्त सहित कर शैक्षणिक विकास को गति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रासंगिक विषयक कार्रवाई के संबंध में विचार एवं निर्णय, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किये जाने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को विभागीय पत्रांक 1917 दिनांक 11.10.2021 प्रेषित है।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–242 / 2023 3355 राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–54 का उत्तर :–

कमांक	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह प्रखण्ड जिसे घने आबादी की दृष्टिकोण से पुलिस अनुमण्डल का दर्जा प्राप्त है के बावजूद यहां के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण लगभग 75–100 कि0मी0, दूरी तय कर मेदनीनगर या लातेहार आवागमन करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मनिका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, मनिका संचालित है, जहॉं पठन–पाठन का कार्य चल रहा है।
02	क्या यह बात सही है कि ऐसे कई अभिभावक है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है के द्वारा पैसे के अभाव में अपने बच्चों को बरवाडीह से बाहर उच्च शिक्षा हेतु नहीं भेज पाते है जिसके फलस्वरूप इंटर के बाद इन्हें ड्रोप–आउट करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। बरवाडीह क्षेत्र के सभी छात्र–छात्राएं मनिका कॉलेज, मनिका में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। साथ ही लातेहार, महुआटांड एवं डालटेनगंज में महाविद्यालय अवस्थित है।
03	क्या यह बात सही है कि बरवाडीह प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय हेतु जमीन भी उपलब्ध है ;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 364 दिनांक 06.03.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल–बरवाडीह मौजा–मुरगीडीह, प्लाट–890, रकबा–7.92 एकड़ चिन्हित किया गया है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बरवाडीह प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय अधिष्ठापित करने का विचार रखती है, हॉं, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का अभी कोई निर्णय नहीं है, इसके अतिरिक्त GER को देखते हुऐ जिलावार अतिरिक्त महाविद्यालयों की स्थापना हेतु योजना तैयार की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक: 01/वि0स0–117/2023 2524 / रॉंची, दिनांक 18/12/2023/

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक –2301, दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.12.2023 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–39 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आसन एवं अर्जुन का वृक्ष तसर कीटपालन कार्य हेतु उपयुक्त वृक्ष की श्रेणी में है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के भगैया एवं अन्य पंचायतों में बुनकरों की संख्या ज्यादा है जो मुख्य रूप से तसर सिल्क से संबंधित बुनकर का कार्य करते हैं;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बुनकरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु आस–पास के बेकार पड़ी बंजर भूमि पर आसन एवं अर्जुन का वृक्ष लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	ग्राम–भगैया एवं अन्य पंचायतें, जहाँ बुनकरों की संख्या ज्यादा है, मुख्यतः ठाकुरगंगटी प्रखण्ड अन्तर्गत आते हैं। ठाकुरगंगटी प्रखण्ड में अधिसूचित वन भूमि उपलब्ध नहीं है। गत वर्ष में भी ग्राम–भगैया के नजदीक मोपहाड़ी गैर–वनभूमि क्षेत्र पर वृक्षारोपण करने के लिए 50 हे0 गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण के लिए NOC की मांग वन प्रमंडल द्वारा अंचलाधिकारी से की गई थी। अंचलाधिकारी स्तर से NOC प्राप्त न होने के कारण वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जा सका। इस वर्ष मोपहाड़ी गैर–वनभूमि क्षेत्र में 66 हे0 भूमि पर अर्जुन एवं आसन के पौधों की प्राथमिकता रखते हुए वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है, जिसका स्थल निरीक्षण वन प्रमंडल पदाधिकी, गोड्डा एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी, बोआरीजोर द्वारा दिनांक–30.11.2023 को कर लिया गया है। अंचलाधिकारी स्तर से NOC प्राप्त होने पर वृक्षारोपण कार्य किया जा सकेगा, जिसमें अधिकांश अर्जुन एवं आसन के पौधे लगाए जा सकेंगे।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्प सूचित प्रश्न–112/2013– 4658 **व0प0, दिनांक–** 18/12/23

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2295, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–41 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के विश्वविद्यालयों के पठन–पाठन एवं सेवाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षाकेत्तर कर्मचारियों के पदों की योग्यता एवं प्रोन्नति U.G.C. से निर्धारित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप तय होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। शिक्षकों की योग्यता एवं प्रोन्नति यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार प्रदान की जाती है तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की योग्यता एवं प्रोन्नति विभागीय पत्रांक–2148 दिनांक–06.11.2015 द्वारा निर्गत Statute के अनुसार प्रदान की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है, कि भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत Lecturer (व्याख्याता) पद से रीडर अथवा Lecturer Selection Grade इसके बाद Associate Professor एवं अंत में Professor पद पर प्रोन्नति का प्रावधान U.G.C. द्वारा कैरियर एडभांसमेंट स्कीम–20 के तहत् प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के उच्च शिक्षा विभाग ने सीधे रीडर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति का प्रावधान किया है जो UGC Guide-Line के विपरीत एवं पूर्व से Associate Professor के पद पर कार्यरत के प्रोन्नति के रास्ते को बंद कर दिया है;	अस्वीकारात्मक। यूजीसी रेगुलेशन, 2010 के तहत Associate Professor से Professor के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान विभागीय पत्रांक–2083 दिनांक–15.12.2022 द्वारा निर्गत Statute, 2010 में किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नियमावली में संशोधन कर UGC के समरूप करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–120/2023 2520/ रॉची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को उनके पत्रांक–2299 दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.12.2023 कोपूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–21 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड मुख्यालय NH-2 पथ के किनारे प्रसिद्ध गर्म कुण्ड सुरजकुण्ड परिसर के पास सैकड़ों एकड़ वन भूमि उपलब्ध है;	स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड, ग्राम सुरजकुण्ड में 24.97 एकड़ अधिसूचित एवं सीमांकित वनभूमिउपलब्ध है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त खाली पड़े वन भूमि पर पार्क निर्माण कराये जाने से सैलानियों का आवागमन बढ़ेगा तथा क्षेत्र का भी समुचित विकास होगा;	आंशिक स्वीकारात्मक। गर्म कुण्ड ग्राम–सुरजकुण्ड में वनभूमि पर बायो/ईको–टूरिज्म पार्क निर्माण से सौलानियों के आवागमन में आंशिक रुप से वृद्धि तथा क्षेत्र का विकास/रोजगार का अवसर प्राप्त होने की सम्भावना है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित/पर्यटनहित में उक्त स्थल के पास वन भूमि पर पार्क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	व्यापक ईको–टूरिज्म हित में ईको–टूरिज्म पार्क के निर्माण हेतु स्थल के आवश्यकतानुसार डी0पी0आर0 बनाने की कार्रवाई प्रारम्भ प्रकियारत है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्प सूचित प्रश्न–111/2023– 4660 **व0प0, दिनांक–** 18/12/23

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2265, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

72

3360
18/12/2023

श्रीमती सुनिता चौधरी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–47

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अनुभाग अधिकारी (आई.एन.एस.–01), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–10–384/2023 आई.एन.एस.–1, दिनांक 18.08.23 के आलोक में आयुक्त केंन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के द्वारा रामगढ़ जिले के गोला प्रखण्ड में नए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी, रामगढ़ के माध्यम से राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगा गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार के द्वारा मांगे गए उक्त प्रस्ताव का उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालय गोला के स्थापना के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अनुभाग अधिकारी (आई0एन0एस0–01) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–10–384/2023 आई0एन0एस0–01 दिनांक–18.08.2023 में लगाये गये अनुलग्नक केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के पत्रांक– KVS(admin)/601 दिनांक--20.01.2017 के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर तब विचार किया जायेगा, यदि यह प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालय या राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा प्रायोजित हो। इसके क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय पत्रांक–1403 दिनांक–04.09.2023 के द्वारा प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय, रामगढ़ को निर्धारित प्रपत्र Annexure-I,II, III भरकर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। प्राचार्य के पत्रांक– 440 दिनांक–05.09.2023 के द्वारा इसमें असमर्थता जताते हुए उक्त प्रपत्र उपायुक्त, रामगढ़ से भरवाने का अनुरोध किया गया है, जिसकी सूचना उपायुक्त, रामगढ़ को दी गयी है। उपायुक्त, रामगढ़ से प्रपत्र–Annexure- I, II, & III भरकर प्रस्ताव उपलब्ध कराते ही केन्द्रीय विद्यालय, रामगढ़ के स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–234/2023 3360 राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

सरकार के अवर सचिव।

श्री लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं० अ०सू०–13 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम तेनुघाट डैम को पतरातु डैम की भांति पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु योजना का सर्वेक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति विभाग स्तर पर लम्बित है जिसके कारण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो पर रहा है,	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** जिले से प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में विभागीय पदाधिकारियों व जिला के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षणोपरांत संशोधित डी०पी०आर०/प्राक्कलन तैयार करने हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची से अनुरोध किया गया है जो प्रक्रियाधीन है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तेनुघाट डैम को पतरातु डैम की भांति पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु विभाग में समर्पित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति देना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	2.	तेनुघाट डैम–श्रेणी B का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। उक्त पर्यटक स्थल पर आवश्यक पर्यटकीय विकास हेतु विभागीय पत्रांक 1140, दिनांक 19.06.2023 एवं पत्रांक 2256, दिनांक 15.12.2023 द्वारा उपायुक्त, बोकारो से पर्यटकीय विकास/सौंदर्यीकरण हेतु भूमि की विवरणी/भूमि उपलब्धता माँगा गया है। उक्त स्थल पर पर्यटकीय विकास हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० के माध्यम से प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। उपायुक्त, बोकारो से पर्यटकीय विकास/सौंदर्यीकरण हेतु भूमि की विवरणी/भूमि उपलब्धता उपरांत योजना स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/97/2023 2283 /राँची, दिनांक 18-12-2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2270/वि०स०, दिनांक–14/12/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

सरकार के उप सचिव

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–06 का उत्तर :–

कमांक	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद के लगभग 1 वर्ष पूर्व नवनिर्मित भवन का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराकर निरीक्षण प्रतिवेदन सहित कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, पलामू के द्वारा भवन हस्तगत करने हेतु नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्राचार किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के पत्रांक 642 दिनांक 15.12.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित जॉच समिति जिसमें कार्यपालक अभियंता सदस्य थे, द्वारा दिनांक 09.09.2023 को निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के कम में महाविद्यालय के चाहरदिवारी निर्माण कार्य अपूर्ण होने तथा कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं हाने के कारण हस्तांतरण नहीं लिया गया है।
02	क्या यह बात सही है कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय प्रशासन के उदासीन रवैया के कारण दिनांक 30 नवम्बर 2023 तक खंड–1 में वर्णित डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद के नवनिर्मित भवन को हस्तगत नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद के नवनिर्मित भवन को हस्तगत करा कर अगले सत्र में पठन–पाठन कार्य प्रारंभ करना चाहता है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित त्रुटियों का झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची द्वारा निराकरण कराते हुए डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद का हस्तांतरण करा लिया जायेगा, जिसमें आगामी शैक्षणिक सत्र से पठन–पाठन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक: 01/वि0स0–108/2023 2521 / रॉची, दिनांक 18/12/2023/

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक –2184, दिनांक 11.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–27 का उत्तर :–

कमांक	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के पत्रांक–BBMKU/CCDC/R-20/R/ 1312/23, दिनांक 27.07.23 द्वारा आर0एस0पी0 कॉलेज झरिया (धनबाद) का स्थाई भवन के निर्माण हेतु रूपये 60,07,79,400.00 (साठ करोड़ सात लाख उनासी हजार चार सौ रूपये) का D.P.R. विभागीय स्वीकृति हेतु दिनांक – 31.07.23 को समर्पित किया गया है ;	स्वीकारात्मक । उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–113/बजट दिनांक 10.08.2023 द्वारा आर0एस0पी0 कॉलेज, झरिया का वास्तुविद से भौतिक निरीक्षण कराते हुए सभी अवयवों को सम्मिलित कर DPR पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का निदेश झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को दिया गया हैं।
02	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विश्वविद्यालय से अंगीभूत आर0एस0पी0 कॉलेज, झरिया को State of the Art के रूप में विकसित करने हेतु विभाग द्वारा सम्मिलित किया गया है तथा महाविद्यालय का स्थाई भवन के निर्माण से यहाँ पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को काफी सुविधा होगी है ;	स्वीकारात्मक । राज्य अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों को State of the Art के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आर0एस0पी0 कॉलेज, झरिया को सम्मिलित किया गया है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र–छात्राओं के हित में आर0 एस0 पी0 कॉलेज झरिया के स्थाई भवन का निर्माण स्वीकृत करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के द्वारा आर0एस0पी0 कॉलेज, झरिया के सभी आवश्यक अवयवों को शामिल करते हुए मास्टर प्लान एवं PPR तैयार किया गया है। उक्त के आलोक में निगम द्वारा आर0एस0पी0 कॉलेज, झरिया का DPR तैयार किया जा रहा है। जिसपर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांकः 01/वि0स0–113/2023 2523 / राँची, दिनांक 18/12/2023/

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके पत्रांक –2257, दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा पूछा गया अल्पसूचित प्रश्न संख्या–12 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य में CCL, BCCL, BSL, HEC, TTPS, CTPS, BTPS, ORICA एवं अन्य केन्द्र तथा राज्य सरकार के सरकारी उपक्रमों एवं निजी संयत्रों के द्वारा 20 लाख हेक्टर से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया गया है जिसके एवज में भूधारियों को न तो उचित मुआवजा न नियोजन मिला है और नहीं इनका उचित तरीके से पुनर्वास किया गया है;	प्रश्नाधीन संस्थानों हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तत्क्षण प्रभावी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त सारे समस्याओं के निराकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में विस्थापन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी जो अब तक धरातल पर नहीं उतरा है;	राज्य में भूमि अधिग्रहण हेतु झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act,2013) प्रभावी है। इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। प्रावधान के आलोक में जिला, प्रमण्डल एवं राज्य स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act,2013) में विस्थापन आयोग के गठन का प्रावधान नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब विस्थापन आयोग का गठन करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08 ए०/भू०अ०नि, वि०स० (अल्प०) –220/2023...941/... राँची, दिनांक–18-12-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2269, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200(दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–30 का उत्तर:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के लाखो युवा झारखण्ड समेत विभिन्न राज्यों में कंप्यूटर आधारित तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में होने वाली नियुक्ति में बीसीए, बीएससी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस को विज्ञान संकाय स्नातक के समकक्ष योग्यता प्रदान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण छात्र राज्य के विज्ञान संकाय योग्यता आधारित विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्यिों में शामिल नहीं हो पा रहे है;	अस्वीकारात्मक। UGC Notification, 2014 के आलोक में राज्य विश्वविद्यालय द्वारा BCA, BSC(IT), B.Tech (Computer Science) को विज्ञान संकाय स्नातक के समकक्ष योग्यता प्रदान की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि बीसीए डिग्री प्राप्त युवक को जेएसएससी द्वारा यह कहते हुए उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया कि बीसीए डिग्री साइंस स्ट्रीम में नहीं आता है जबकि 2014 के यूजीसी गजट पब्लिकेशन में उल्लेखित है कि बीसीए साइंस स्ट्रीम का अभिन्न अंग है;	स्वीकारात्मक। इस संदर्भ में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में बीसीए को विज्ञान संकाय के समकक्ष माना गया है। उक्त न्यायादेश के अनुपालन हेतु बीसीए की डिग्री के बिन्दु पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 2014 के यूजीसी गजट पब्लिकेशन के आलोक में, बीसीए बीएससी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस को स्नातक विज्ञान संकाय के समकक्ष योग्यता प्रदान करने हेतु नियुक्ति संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट दिशा निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपुर्यक्त खण्डों में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–125/2023...2528/ रॉची, दिनांक 18/12/2023

प्रतितिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को उनके पत्रांक–2255 दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

3353
18/12/2023

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–59

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा अन्य विद्यालयों के अनुदान राशि चार गुणा करने का निर्णय लिया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि निदेशालयीय आदेश संख्या 2880 दिनांक 16.11.2022 के द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा, वर्त्तमान दर में मात्र 3/4 गुणा (अर्थात् 0.75 गुणा) वृद्धि के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित है, जो प्रारंभिक चरण में है, के संबंध में विचार अथवा निर्णय की कार्रवाई नहीं की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित वित्त रहित शिक्षा संस्थानों में अनुदान बढ़ाने हेतु विभागीय प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा मंत्री परिषद् की सहमति मिल गई है और इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है;	अस्वीकारात्मक। खण्ड–01 में उत्तर सन्निहित है।
3	क्या यह बात सही है कि वित्त रहित शिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग के नाम पर संलेख विधि एवं वित्त विभाग को भेजा गया है;	अस्वीकारात्मक। खण्ड–01 में उत्तर सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विद्यालयों को चार गुणा वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत् अनुदान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड–01 में उत्तर सन्निहित है।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–241/2023 3353 रॉंची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

79

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–57 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नयी शिक्षा नीति (NEP) लागू है जिसके तहत् पाठ्यक्रम में जैविक कृषि, रिटर्न की ई–फाइलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अंग्रेजी अभिव्यक्ति, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, टेक्सटाइल प्रबंधन, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, योगा, पर्यावरण विज्ञान, शेयर मार्केट का परिचय, वानिकी एवं वन्य जीव, सौंदर्य जैसे अनेक विषयों को शामिल किया गया है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नयी शिक्षा नीति के तहत् नये विषयों के लिए आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पद सृजित नहीं किया गया है,	स्वीकारात्मक। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम एवं पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि NEP के तहत् U.G सेमेस्टर–1 सत्र का डेढ़ वर्ष गुजर जाने के बाद भी कोल्हान विश्वविद्यालय को छोड़ कर किसी भी विश्वविद्यालय ने अबतक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नयी शिक्षा नीति के तहत् उपरोक्त वर्णित विषयों के लिए शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पद सृजित करने एवं लंबित परीक्षा परिणाम को प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नयी शिक्षा नीति के अनुरूप वोकेशन शिक्षा एवं नये विषयों हेतु सभी विश्वविद्यालायों के लिए आवश्यक पद सृजन के लिए प्रस्ताव गठित कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने तथा लंबित परीक्षा परिणाम शीघ्र प्रकाशित करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन प्रयत्नशील है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–123/2023 2535 — रॉची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2305 दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप/सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–17

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र०सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि डीएमएफटी फंड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कल्याणकारी योजना सहित निवास करने वाले लोगों को दीर्घकालीन स्थायी आजीविका आवश्यक बुनियादी ढॉचे का निर्माण करने का प्रावधान निहित है ;	अंशिक रूप से स्वीकरात्मक। डीएमएफटी फंड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य संबंधित कल्याणकारी योजना हेतु किये जाने का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिले में भगैया पंचायत सहित अन्य स्थानों पर बुनकरों की संख्या राज्य के अन्य जिलों से अधिक है ;	खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिला में डीएमएफटी फंड से एक दीर्घकालीन कार्य योजना तैयार कर भगैया सहित अन्य पंचायतो में निवास करने वाले बुनकरो के उत्थान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	यथोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–123 / 2023 2133 /एम०, राँची, दिनांक:– 18/12/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2268 दिनांक–14.12.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव

(81)

1743
18/12/2023

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्रीमती पुष्पा देवी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–38

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला के छतरपुर प्रखण्ड के 320 एवं नौडिहाबाजार के 223 पारा शिक्षकों के नियुक्ति के विरूद्ध पलामू आयुक्त के द्वारा गठित जाँच समिति पत्रांक– 1849 दिनांक 21.12.2022 को राज्य सरकार को जाँच रिपोर्ट सौंपा गया जिसमें सभी पारा शिक्षकों को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रमण्डलीय आयुक्त पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के पत्रांक 1848 दिनांक 21.12.2022 (अनुलग्नक–I) द्वारा जॉच प्रतिवेदन सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उद्धृत विवरणी निम्नवत् हैः– i. प्रखण्ड छतरपुर अन्तर्गत कुल कार्यरत 622 पारा शिक्षकों में से चयनित कुल 320 एवं प्रखण्ड नौडीहा बाजार अन्तर्गत कुल कार्यरत 433 पारा शिक्षकों में से चयनित कुल 223 (कुल 543) पारा शिक्षकों का अनुमोदन प्रखण्ड शिक्षा समिति से विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पाया गया। प्रखंड छतरपुर अंतर्गत कार्यरत 302 पारा शिक्षक एवं प्रखंड नौडीहा अंतर्गत कार्यरत कुल 210 पारा शिक्षक (कुल 512) का चयन विभागीय मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाया गया। ii. 512 पारा शिक्षक जिनके चयन को प्रमण्डलीय आयुक्त की जांच समिति द्वारा चयन को निर्धारित मापदण्डों/ नियम के अनुकूल नहीं किए जाने के कारण अनियमित/ अवैध माना गया तथा इनके मामले को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय अनुशासनिक–सह–प्रशासनिक प्राधिकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है। संबंधित अनुशासनिक–सह–प्रशासनिक प्राधिकार के द्वारा निर्णय लिए जाने तक ऐसे पारा शिक्षकों के कार्य लिए जाने पर रोक लगायी गई है। यदि अनुशासनिक–सह–प्रशासनिक प्राधिकार के द्वारा कतिपय पारा शिक्षकों के चयन को साक्ष्यों के आधार पर सही माना जाता है तो इस पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इन सभी पारा शिक्षकों को उनके कार्यरत अवधि 13.10.2023 तक के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि पूर्व सभी 543 पारा शिक्षक 2001–02 से अभी तक अपने–अपने विद्यालय में कार्यरत है एवं उनका मानदेय (जून, 2023 तक) भुगतान हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कंडिका 1 पर उत्तर सन्निहित है। 543 पारा शिक्षक जिनके चयन को प्रमण्डलीय आयुक्त की जांच समिति द्वारा मापदण्डों के अनुरूप पाया गया है वे अपने विद्यालयों में कार्यरत रह कर नियमित रूप से मानदेय प्राप्त कर रहे हैं।

		इन सभी को माह नवम्बर, 2023 तक अद्यतन मानदेय का भुगतान किया जा चुका है।
3	क्या यह बात सही है कि सभी 543 पारा शिक्षकों को समय पर मानदेय भुगतान न कर पदाधिकारियों द्वारा बार–बार हटाने का प्रयास किया जाता रहा है, जिससे पारा शिक्षक मानसिक कुंठा के शिकार हो जा रहे है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी 543 पारा शिक्षकों के हित में पुनः राज्यस्तरीय उच्च जाँच समिति गठित कर इन्हें सहायक अध्यापक के तौर पर नियमित का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना संख्या 16/य.1–04/2022/238 दिनॉक 14/02/2022 द्वारा 'झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली, 2021' अधिसूचित है। (अनुलग्नक–III) इस संबंध में अंकनीय है कि 543 पारा शिक्षकों के चयन को सही माना गया है वे कार्यरत हैं और उन्हें नियमित भुगतान किया जा रहा है। नियमावली की कंडिका–6 में सरकार द्वारा कोई अन्यथा निर्णय अथवा प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई नहीं की जाती है तबतक सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों के 60 वर्ष तक कार्य करने का प्रावधान किया गया है। जिन 512 पारा शिक्षकों के चयन को प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं माना गया है उनके मामले में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उपरोक्त अंकित नियमावली के अन्तर्गत संबंधित प्रखण्ड एवं पंचायत के प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में यथोचित कार्रवाई की जा सकेगी।

Arun
18.12.23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि2–209/2023..1743../राँची, दिनांक....18/12......./2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2307 दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun
18.12.23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(82)

3354
18/12/2023

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–50

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा छात्र–छात्राओं को उच्च विद्यालय की शिक्षण हेतु विद्यालयों को उत्क्रमित किया जाता रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उत्क्रमण के क्रम में पत्रांक 895 दिनांक 26.03.2011 के क्रम सं. 29 में *RUV* बड़मिता दर्ज होने के कारण उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुशमिता को उत्क्रमण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं विद्यालय में 9th एवं 10th कक्षा की पढ़ाई नहीं हो पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सचिव मानव संसाधन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) के संकल्प सं0 895 दिनांक 26.03.2011 द्वारा राज्य के 300 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया। जिसके अंतर्गत प0 सिंहभूम जिलें के कुल 20 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया। उक्त 20 विद्यालयों में कुमारडुंगी प्रखण्ड के *RUV* बड़मिता मध्य विद्यालय को उत्क्रमित किया गया। प0 सिंहभूम जिला अंतर्गत प्रखण्ड हाट गम्हरिया के बेसिक विद्यालय, कुसमिता के उत्क्रमण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, प0 सिंहभूम से अनुशंसा प्राप्त है, परंतु निर्धारित मानक अंतर्गत प्रस्ताव नहीं रहने के आलोक में संबंधित विद्यालय के संबंध में राज्यस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार *RUV* बड़मिता को संशोधित करते हुए उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुशमिता को उत्क्रमण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिलास्तरीय समिति से इस संबंध में अनुशंसा प्राप्त होने की स्थिति में अगली राज्यस्तरीय समिति की बैठक में मामले को विचारार्थ रखा जा सकेगा।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–232/2023....3354........ राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–05 का उत्तर :–

कमांक	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक–एक डिग्री स्तरीय महाविद्यालय स्थापना करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ;	स्वीकारात्मक। वैसे विधानसभा क्षेत्र जहाँ अंगीभूत महाविद्यालय नहीं हैं, वहाँ डिग्री स्तरीय महाविद्यालय के स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किया गया है।
02	क्या यह बात सही है, कि पाँकी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मनातू प्रखण्ड के सुदूरवर्ती स्थान पर डिग्री स्तरीय महाविद्यालय स्थापना करने हेतु भूमि उपलब्ध कराया गया था, जो कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों के आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं था ;	स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि निदेशक, उच्च शिक्षा झारखण्ड को वर्ष–2021 में यह विषय संज्ञान में आने पर स्थल परिवर्तन करते हुए पाँकी विधानसभा क्षेत्र के मध्य नीलाम्बर–पीताम्बरपुर में भूमि उपलब्ध करने हेतु पत्राचार किया गया, परन्तु आज तक जिला के पदाधिकारियों द्वारा इस विषय पर कोई पहल नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 493 / बजट दिनांक 11.03.2022 के द्वारा पाँकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु अन्य उपयुक्त स्थल के चयन हेतु उपायुक्त, पलामू को पत्र प्रेषित किया गया है। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–2538 / रा0 दिनांक–17.12.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि डिग्री महाविद्यालय, पाँकी हेतु मनातू के स्थान पर अन्य उपयुक्त भूमि चिन्हित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में अविलम्ब नीलाम्बर–पीताम्बरपुर में भूमि उपलब्ध कराते हुए डिग्री स्तरीय महाविद्यालय स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, पलामू द्वारा अन्य उपयुक्त भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने के पश्चात डिग्री महाविद्यालय के स्थापना हेतु कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदशालय)

ज्ञापांकः 01 / वि0स0–109 / 2023 2534 / राँची, दिनांक 18/12/2023/

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके पत्रांक –2186, दिनांक 11.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.12.2023 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–61 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हाथी झारखण्ड का राजकीय पशु है, परन्तु इसकी सुरक्षा तथा इसके वास–स्थल का संवर्द्धन करने की ठोस योजना नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। हाथी झारखण्ड का राजकीय पशु है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 3640 दिनांक 26.09.2001 द्वारा कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों यथा–पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सराइकेला एवं खरसावाँ को सिंहभूम गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि वन्यजीव अधिनियम का अनुपालन नहीं होने, 2017–18 में तैयार हाथी ट्रैकिंग सिस्टम को क्रियाशील नहीं रखने तथा स्वस्थ वनीकरण नहीं होने के कारण घाटशिला के ऊपरी बांधा जंगल में पाँच हाथियों की दर्दनाक मौत गत् 20 नवम्बर को करंट लगने से हो गई, परन्तु इसकी जिम्मेवारी सुनिश्चित नहीं हुई;	अस्वीकारात्मक। राज्य में मोबाइल ऐप आधारित एलीफैंट ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की गई है जिसके अंतर्गत हाथियों के झुंड के आकार के अलावा उनकी उपस्थिति की सूचना अक्षांश एवं देशांतर के साथ दर्ज की जाती है। इससे हाथियों के संभावित आवागमन का पता लगाने में मदद मिलती है तथा आस पास के ग्रामीणों को पूर्व सूचना देना संभव हो पाता है। स्थानीय स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु WhatsApp ग्रुपों का निर्माण किया गया है जिसमें वनकर्मियों के अलावा वन सुरक्षा समिति के सदस्य तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। सिंहभूम रीजन के अन्तर्गत क्रमशः जमशेदपुर, चाईबासा तथा सराइकेला में कुल तीन त्वरित कार्य दल (QRT) गठित हैं जिनके द्वारा हाथियों की ट्रैकिंग के साथ–साथ उन्हें रिहायशी इलाकों से दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम के ऊपरी बांधा ग्राम में 5 हाथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु 33 के०भी०ए० के विद्युत तारों के चपेट में आने से हुई है। दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन वाद दायर किया गया है। वनों एवं आस–पास के क्षेत्रों में बिजली के तारों के निर्धारित मानक ऊँचाई के कम होने के कारण एवं मापदण्ड के अनुरूप बिजली के पोल नहीं लगाये जाने के कारण बिजली के घरेलू, अवैध कनेक्शन, आदि कारणों से ऐसे विद्युत तारों जो हाथियों के लिए प्राणघातक हो, उनकी पहचान करते हुए इस दिशा में समुचित कार्रवाई हेतु ऊर्जा विभाग से समय–समय पर अनुरोध किया गया है कि ऐसे सभी विद्युत तारों को पर्याप्त ऊँचाई पर रखने, आदि हेतु त्वरित कार्रवाई करें ताकि विद्युत स्पर्शाघात की घटना रोकी जा सके।
3. क्या यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा पर खाई खोदकर हाथियों का भ्रमण मार्ग किया है, परन्तु यह बाधा दूर करने के लिए सरकार ने ठोस पहल नहीं किया;	आंशिक स्वीकारात्मक। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा झारखड की सीमा पर कुल 6.5 किलोमीटर हाथी रोधी ट्रेंच तथा 12 किलोमीटर सोलर फेंस का निर्माण किया गया है। दिनांक 23.12.2021 को बारिपदा, उड़ीसा में आयोजित सीमावर्ती जिलों के वन पदाधिकारियों की बैठक तथा दिनांक 19.01.2023 को कोलकाता में आयोजित क्षेत्रीय समन्वय बैठक में इस तथ्य को प्रमुखता से उठाए जाने के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल के

	द्वारा कुछ स्थानों पर गड्ढों को भरा गया है किंतु ट्रेंच का अधिकांश हिस्सा अभी भी यथावत है। इस संदर्भ में भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्वी क्षेत्र के प्रदेशों यथा पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उड़िसा, छत्तीसगढ़, बिहार जिनमें हाथियों का विचरण एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है, वह निर्बाध रूप से हो तथा मानव हाथी द्वन्द्व की प्रभावी रोकथाम हेतु क्षेत्रीय कार्य योजना (Regional Action Plan) तैयार करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा विचार विमर्श हेतु उपरोक्त राज्यों के मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालकों की बैठक 31.08.2023 को आयोजित की गई थी। भारत सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतायेगी कि हाथियों के वास–स्थल को संरक्षित एवं संवर्द्धन करने, वहाँ हाथी के योग्य वनीकरण करने पेयजल की व्यवस्था करने और हाथी भ्रमण पथ की बाधाएं दूर करने की क्या योजना है?	इस हेतु व्यापक उपाय विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। (क) हाथी के पर्यावास के संवर्द्धन हेतु प्रभावित जिलों में वनरोपण जिसमें विशेष कर बाँस एवं फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया जाता है तथा हाथियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चेक–डैम, तालाब, Water hole आदि का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ–साथ प्राकृतिक जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार तथा वनों के प्राकृति पुनर्जनन के कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। (ख) राज्य के वनों में बाँस–बखार की लगातार सफाई की जा रही है तथा घास मैदान (Grassland) के विकास का कार्य किया जा रहा है, ताकि हाथियों को जंगल में ही पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो। (ग) राज्य में हाथियों के विचरण की निगरानी हेतु Elephant Tracking Mobile App तैयार किया गया है, जिससे नियमित रूप से हाथियों के विचरण एवं प्रवास की वास्तविक स्थिति आस–पास के ग्रामीणों को प्राप्त होती रहती है, जिससे वे सतर्क रहते हैं तथा जान–माल के नुकसान को कम करने में यह सहायक है। (घ) राज्य के विभिन्न प्रमण्डलों में 19 त्वरित कार्य दल (QRT) एवं हाथी प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तौर पर प्रशिक्षित हाथी भगाने वाले दल द्वारा हाथियों को वापस वन क्षेत्रों में भेजने की कार्रवाई की जाती है। हाथियों से बचाव तथा उन्हें जंगल की ओर भगाने हेतु वन क्षेत्र के आस–पास के ग्रामीणों के बीच आवश्यक सामग्रियाँ यथा – किरासन तेल, मोबिल, पटाखा आदि का वितरण किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न–113 / 2023–4662 व0प0, दिनांक–18/12/23

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2296, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–18 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखण्ड एक बड़ा प्रखण्ड है, जिसमें अत्याधिक संख्या में अनु0 जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस प्रखण्ड में बच्चे–बच्चियों की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज नहीं है जिसके कारण यहां के बच्चे–बच्चियाँ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते है, जिसके फलस्वरूप इन में बेरोजगारी बढ़ी है,	आंशिक स्वीकारात्मक। (1) जामताड़ा जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के निकटवर्ती प्रखण्ड जामताड़ा में जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा (अंगीभूत महाविद्यालय) एवं जामताड़ा संध्या महिला महाविद्यालय (संबद्धता प्राप्त) संचालित है। (2) जामताड़ा में प्रेजा फाउन्डेशन को 120 सीटो के लिए ए0एन0एम0 नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–56(10) दिनांक–25.02.2022 द्वारा अनापत्ति प्रदान किया गया है एवं ए0एन0एम0 प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज व नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों	वर्तमान में प्रखंडवार डिग्री महाविद्यालय खोलने का राज्य सरकार का निर्णय नहीं है। G.E.R के वृद्धि हेतु जिलावार अतिरिक्त महाविद्यालयों के स्थापना हेतु चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–115 / 2023 2527/ राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2260 दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

86

1737
18-12-2023

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री मनीष जायसवाल मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–19

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के निर्देश के बावजूद हजारीबाग सहित पूरे राज्य में लगभग 17 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों को पोशाक वितरण नहीं की गई है जबकि झारखण्ड शिक्षा परियोजना निदेशालय द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में जुलाई 23 में ही पोशाक मद की राशि उपलब्ध करा दी गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक । समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के कुल लक्ष्य 3493402 के विरूद्ध 2856617 सरकारी विद्यालयों के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराया जा चुका है । शेष 636785 बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे मार्च, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग को पोशाक वितरण हेतु 12 करोड़ रूपये राशि का आवंटन दी गई है परन्तु उक्त जिले के संबंधित पदाधिकारी द्वारा कुल–1.72 लाख उक्त बच्चों को पोशाक की राशि खाते में ना देकर मनमानी तरीके से लोहरदगा के प्रगति महिला उत्पादक समूह एवं हजारीबाग के चुरचु–चरही में संचालित मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति को उक्त पोशाक की आपूर्ति का जिम्मा बिना निविदा/विज्ञापन के आपूर्ति आदेश दे दी गई जो जाँच का विषय है,	संकल्प संख्या 378 दिनांक 05.03.2019 में उल्लेखित निदेशों के अनुरूप कक्षा 3 से 8 के लिए पोशाक की उपलब्धता निम्नांकित तीन माध्यमों से की जानी है:– i. स्वयं सहायता समूह ii. सखी मंडल iii. डी.बी.टी. जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त संकल्प में अंकित प्रावधान के अनुरूप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिले के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पोशाक, स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराया गया है। यद्यपि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पोशाक लिया जाना सरकार के संकल्प के अनुरूप है परन्तु प्राप्त शिकायत के आलोक में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिले में पोशाक के क्रय में किसी तरह की विसंगति/ अनियमितता के संदर्भ में जाँच करायी जा रही है। किसी तरह की विसंगति/अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा खण्ड–01 में वर्णित राशि को कक्षा 01 एवं 02 के बच्चों को छोड़कर शेष सभी बच्चों को उक्त राशि का भुगतान खाते में करने का आदेश दी गई है, जिसका संबंधित पदाधिकारी द्वारा उल्लंघन की गई है,	संकल्प संख्या 378 दिनांक 05.03.2019 में उल्लेखित निदेशों के अनुरूप ही कक्षा 3 से 8 के लिए पोशाक की उपलब्धता स्वंय सहायता समूह के माध्यम से की जा रही है।

Khurshid

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारीबाग सहित राज्य के अन्य जिलों के बच्चों को पोशाक की राशि उनके खाते में देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उत्तर खण्ड–3 में निहित है ।

18.12.23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16 / वि2–208 / 2023..1237.. / राँची, दिनांक.....18/12....... / 2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2250 दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.12.23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री निरल पुरती, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–19.12.2023 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–43 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री निरल पुरती सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण किया जाना है लेकिन पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी, मंझारी एवं तांतनगर प्रखण्ड में एक भी प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम की स्वीकृति नहीं दी गई है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुमारडुंगी प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अद्यावधि रू० 50.00 लाख राशि उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को आवंटित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का मॉडल प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं हो सका है;	**अस्वीकारात्मक।** विभाग द्वारा पूर्व में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु रू० 67,58,400/– को मॉडल प्राक्कलन बनाया गया था। पूर्व के मॉडल प्राक्कलन में नए अवयव को समाहित करते हुए प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु रू० 83,04,550/– का पुनरीक्षित मॉडल प्राक्कलन बनाया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मॉडल प्राक्कलन को पुनरीक्षित करते हुए प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–1237, दिनांक–07.07.2023 के द्वारा मंझारी प्रखण्ड में तथा विभागीय पत्रांक–382, दिनांक–23.02.2023 के द्वारा तांतनगर प्रखण्ड में खेल संस्कृति के अनुरूप प्रस्ताव, भूमि विवरणी एवं अद्यतन चेकलिस्ट में वांछित प्रतिवेदन की मांग उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से की गई है। बजट उपलब्धता अनुरूप नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–99/2023 2277 राँची, दिनांक 18-12-2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2290/वि०स०, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/23

सरकार के उप सचिव

88

3361
18/12/2023

श्री केदार हजरा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी प्रखण्ड के मध्य विद्यालय किसगों को अभी तक उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित विद्यालय के करीब 5 किलोमीटर के अन्दर कोई भी उच्च विद्यालय नहीं है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय, किसगो के करीब 4.5 कि.मी. की दूरी पर एस.बी.एम.के. उच्च विद्यालय, भण्डारो, जमुआ, गिरिडीह अवस्थित है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित विद्यालय में करीब 500 से अधिक गरीब छात्र–छात्रा को उच्च विद्यालय में शिक्षा ग्रहण में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मध्य विद्यालय किसगो में कुल 350 छात्र/छात्रा नामांकित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार देवरी प्रखण्ड के किसगो मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय की शिक्षा प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला स्तरीय समिति से इस संबंध में अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्यस्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकेगा।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–240/2023 3361 राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–31 ।

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र०सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र अंतर्गत कुल 16 पंचायत में घनी आबादी निवास करती है ;	खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र से कई नदियां तथा दामोदर, लोढ़ियां, बइकी, पतरा नदी बहती है ;	केरेडारी प्रखण्ड अन्तर्गत पतरा, बड़कीतरी नदी अवस्थित है।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास, पथ निर्माण, मनरेगा आदि के क्रियान्वयन के साथ लोगों को अपने आवास इत्यादि के निर्माण के लिए बालू अति आवश्यक सामग्री है परंतु केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र के किसी भी बालू घाट की नीलामी हेतु प्रक्रिया नहीं की गई है जिसके कारण प्रखण्ड क्षेत्र के लागों को बालू की विकट समस्या से जुझना पड़ रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बालू खनिज के अनुमोदित DSR के आलोक में कुल 11 बालू घाटों के लिए ई–निविदा के माध्यम से MDO का चयन कर सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 (JSMDC) द्वारा Letter of Intent (LOI) निर्गत किया गया है। केरेडारी प्रखण्ड में अवस्थित बालू घाट का संचालन हेतु चयन वन विभाग के प्रभावी प्रावधानों के आलोक में नहीं किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखण्ड में भी बालू घाट चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–125/2023 2126 /एम०, राँची, दिनांक:– 18/12/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2267 दिनांक–14.12.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(90)

3351
18/12/2023

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–15

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 17572 पदों पर वर्ष–2016 में नियुक्तियाँ हेतु विज्ञापन प्रकाशित की गई थी, जिसके विरुद्ध 17000 पदों पर आजतक शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं हो पाई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। CGTTCE-2016 अंतर्गत विज्ञापन सं0 21/2016 के द्वारा उच्च विद्यालय के कुल 17786 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित की गयी थी। इसके आलोक में अबतक कुल12371 शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान राज्य सरकार की नियुक्ति नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं तथा जिनकी नियुक्तियाँ भी हुई हैं, उसके कट–ऑफ उसके बाद जारी की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 4038/2022, सत्यजीत कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक 02.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में स्टेट मैरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित हाई स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों पर अविलम्ब रिजल्ट प्रकाशित कर पाँच वर्षो से प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को नियुक्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा अनुशंसा सूची तैयार कर नियुक्ति के संबंध में विचार हेतु विभाग को भेजी जाती है। विभाग द्वारा अनुशंसा जिला को भेजी जाती है एवं जिलास्तरीय स्थापना समिति के निर्णयोंपरान्त नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2016–17 में नियुक्ति हेतु कुल 17786 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के विज्ञापित पदों के विरूद्ध झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची से 13873 अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध अद्यतन तिथि तक 12371 नियुक्ति की जा चुकी है।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–237/2023....3351 राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं० अ०सू०–35 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पलामू जिले के छत्तरपुर प्रखंण्ड में देवगन धाम (राम–जानकी मन्दिर) 250 वर्ष पूर्व निर्मित है, को पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त है,	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित धाम में प्रत्येक वर्ष माघ मास (फरवरी–महीना) में मेला का आयोजन होता है तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित मंदिर /धाम में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित /मूलभूत सुविधाओं का न होने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है,	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित धाम/मंदिर को वर्ग ए (Class-A) पर्यटन स्थल का दर्जा देते हुए पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?,	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने हेतु राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/103/2023...2282......./राँची, दिनांक...18-12-2023...

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2287/वि०स०, दिनांक–14/12/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

सरकार के उप सचिव

जितेन्द्र

श्री भानु प्रताप शाही, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.12.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–20 का उत्तर सामग्री।

1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के आदेश संख्या–B-41, दिनांक–11.07.2023 के द्वारा परिषद मंडल की 50वीं बैठक की कार्यवाई संख्या–21 में लिए गए निर्णय के अनुरूप यह आदेश निर्गत किया गया है कि स्टोन क्रसर की दूरी खनन् पट्टें से 05KM के दायरे में हो ;	स्वीकरात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित आदेश से विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होगी जैसे क्रशर प्लांट के लिए जमीन का सुलभ उपलब्ध नहीं होना, क्रशर प्लांट से स्टोन चिप्स की ढुलाई हेतु पर्याप्त आवागमन का साधन नहीं होना ;	अस्वीकरात्मक ।
3.	क्या बात सही है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के उक्त निर्णय से झारखण्ड के कई क्रशर प्लांट बन्द हो जायेंगे, फलस्वरूप झारखण्ड सरकार को करोड़ों रूपये राजस्व की क्षति प्रतिवर्ष होगी,	प्रश्नगत आदेश में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि पूर्व से स्थापना सहमति प्राप्त स्टोन क्रशर इकाई संदर्भित स्टोन माईन्स से पाँच कि0मी0 से अधिक दूरी पर अवस्थित है, उस परिस्थिति में संबंधित स्टोन क्रशर इकाई को 01 जून 2025 तक उक्त क्रशर को वैसे पत्थर खदान के 05 कि0मी0 के दायरे में स्थांनांतरित करने हेतु निर्णय लिया गया जो की कच्चा माल आपूर्ति करने में सक्षम् हो ।
4.	यदि उपर्युक्त खडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा खण्ड–01 में वर्णित लिये गए अविवेकपूर्ण एवं अव्यवहारिक निर्णय पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्वीकरात्मक । कंडिका 1–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न–110 / 2023-4659 व0प0, दिनांक–18/12/23

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2264, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

93

3349
18/12/2023

डॉ. इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–16

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य गठन के बाद उर्दू शिक्षकों की एक ही बार नियुक्ति हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2016–17 की विज्ञप्ति के पूर्व की विज्ञप्ति द्वारा भी माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। स्नातक प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों के कुल स्वीकृत 742 पदों में 403 वर्त्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें 265 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, वर्ष 2016–17 की 448 विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध हुई है। प्रारंभिक विद्यालयों में भी वर्ष 2013–14 एवं 2015–16 की विज्ञप्ति द्वारा दो बार उर्दू इंटरमीडिएट (मैट्रिक) प्रशिक्षित एवं उच्च प्राथमिक स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रोजेक्ट हाई स्कूल व प्लस टू विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों का पद सृजित नहीं है;	विभागीय परिपत्र सं. 705 दिनांक 12.10.1982 द्वारा प्रोजेक्ट उच्च विद्यालयों में 09 स्वीकृत शिक्षक पदों में उर्दू शिक्षकों का पद स्वीकृत नहीं था, परंतु परिपत्र सं. 142 दिनांक 04.02.1989 द्वारा स्वीकृत 09वें पद को अल्पसंख्यक भाषा, संगीत, ललित कला, वाणिज्य विषय में से एक वरीयता, अर्हत्ता एवं उपयोगिता के आलोक में अनुमोदित किए जाने का उल्लेख था, जिसे राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 03.11.2023 में लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं. 3123 दिनांक 22.11.2023 द्वारा स्वीकृत किए जाने का आदेश निर्गत है। +2 उच्च विद्यालयों में अद्यतन तिथि तक +2 उर्दू स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का पद सृजित नहीं है। 510 उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालयों में 1033 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद सृजन हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसमें +2 उर्दू स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 92 पदों के सृजन हेतु भी प्रस्ताव सम्मिलित है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015–16 के बाद से प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति नहीं होने के कारण विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिस कारणवश राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की भारी कमी है एवं बच्चे उर्दू पढ़ने से वंचित हो रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। प्रारंभिक उर्दू शिक्षकों का कुल स्वीकृत 4401 पद पूर्व में योजना मद में स्वीकृत था, जिसे वर्त्तमान में गैर योजना मद में परिवर्तित किया गया है तथा वर्त्तमान में इंटर प्रशिक्षित उर्दू के 730 सहायक शिक्षक नियुक्त एवं कार्यरत हैं। प्रारंभिक विद्यालयों के इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए सहायक आचार्य का पद सृजित किया गया है, तद्नुरूप इंटर प्रशिक्षित उर्दू सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों को सहायक आचार्य के समरूप वेतनमान् में परिवर्तित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

डॉ. इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–16

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलंब उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रोजेक्ट हाई स्कूल व प्लस टू विद्यालय में उर्दू शिक्षकों के पद सृजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका–02 एवं 03 में सन्निहित है।

18/12/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–236 / 2023.......3349.......   राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं० अ०सू०–45 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत मनिका प्रखण्ड के पंचायत दून्दू के दू–मूहान नदी जहाँ दो नदियाँ क्रमशः सुकरी एवं लाली नदी का संगम स्थल है, यहाँ पौराणिक मंदिर भी अवस्थित है में सालों भर लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण घुमने एवं पूजा करने के दृष्टिकोण से आते रहते है तथा वर्ष में 3 से 4 बार वृहत मेला का आयोजन भी किया जाता है,	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थल को पर्यटक क्षेत्र का दर्जा भी प्राप्त है,	2.	**अस्वीकारात्मक**
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थल पर आज तक सौन्दर्यीकरण एवं विकास का कार्य नहीं हुआ है, साथ ही मंदिर के समीप नदी के तटबंध पर भूमि का कटाव तेजी से हो रहा है,	3.	**स्वीकारात्मक**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थल का सौन्दर्यीकरण तथा मंदिर के समीप नदी तटबंध पर संरक्षण के दृष्टिकोण से सीढ़ीनुमा घाट बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने हेतु राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/104/2023 2280 /राँची, दिनांक 18.12.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2289/वि०स०, दिनांक–14/12/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

सरकार के उप सचिव

95

3356
18/12/2023

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–03

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ग 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए राज्यों में 2690 स्कूल हैं, जिसमें अबतक मात्र 635 को ही +2 में उत्क्रमित किया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में इसके अतिरिक्त कुल 166 माध्यमिक विद्यालयों का +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि नई शिक्षा नीति–2020 के लागू हो जाने से किसी भी सरकारी सेवा के लिए न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता +2 उत्तीर्ण रखा गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सरकारी सेवा/सेवाओं के लिए न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण एवं नयी शिक्षा नीति, 2020 के मध्य कोई सीधा संबंध नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि नई शिक्षा नीति के तहत् सभी उच्च विद्यालयों को उत्क्रमित कर +2 स्कूल में परिणत करना अनिवार्य हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नयी शिक्षा नीति, 2020 द्वारा माध्यमिक (उच्चतर माध्यमिक सहित) शिक्षा स्तर की प्रावधानित संरचना को राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी शेष बचे उच्च विद्यालयों को +2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्ड–3 के उत्तर में सन्निहित है।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–227/2023 3356 **राँची, दिनांक** 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

96

3352
18/12/2023

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–42

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के वैसे मध्य विद्यालय जिसके 5 किलोमीटर की परिधि में कोई उच्च विद्यालय नहीं है, उसे उच्च विद्यालय में उत्क्रमण का प्रस्ताव मार्च–2021 से लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। संप्रति 140 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित वैसे मध्य विद्यालय, जिसका उत्क्रमण उच्च विद्यालय में होना प्रस्तावित है, में अध्ययनरत छात्र–छात्राएँ जो आर्थिक दृष्टिकोण से काफी कमजोर हैं, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रस्तावित मध्य विद्यालयों का उत्क्रमण अधिसूचित होने तक उनमें अध्ययनरत छात्र–छात्राएँ निकटतम उच्च विद्यालय में नामाकंन प्राप्त कर अगली कक्षा की शिक्षा/उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैसे मध्य विद्यालय, जिसके 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय नहीं है, का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने के लिये निकटतम उच्च विद्यालय की दूरी 5 कि.मी. या इससे अधिक के साथ–साथ विद्यालय अंतर्गत पर्याप्त भूमि (एक एकड़) की उपलब्धता भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा एक पंचायत में एक से ज्यादा उच्च विद्यालय नहीं रहने का परामर्श दिया गया है। वर्त्तमान में राज्य के 140 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने के प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा एवं वित्त विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त हो चुकी है। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृते प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–230/2023....3352.... राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

श्री समीर कुमार मोहन्ती, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–22 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी अंगीभूत कॉलेजो में 2017–20, 2018–21 एवं 2019–22 के स्नातक के विद्यार्थियों के लिए इलेक्टिव द्वितीय पत्र का विकल्प नही था,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि छात्र–छात्राओं के हित में प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय द्वारा इलेक्टिव द्वितीय पत्र को शामिल करते हुए स्पेशल परीक्षा का आयोजन कर अंक पत्र में बदलाव किया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के कुछेक विश्वविद्यालयों यथा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के द्वारा छात्र–छात्राओं के हित में द्वितीय पत्र को शामिल करते हुए स्पेशल परीक्षा का आयोजन किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित इलेक्टिव द्वितीय पत्र नही रहने के कारण स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीयों को नियुक्ति परीक्षा से वंचित रह जाना पड़ रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। सभी नियुक्तियाँ इससे प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि वैसी नियुक्तियों में छात्र–छात्राओं को नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने से वंचित रहना पड़ रहा है, जहाँ इलेक्टिव द्वितीय पत्र को आवश्यक माना गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्य विश्वविद्यालयों की भाँती कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में भी स्पेशल परीक्षा का आयोजन कर अंक पत्र में बदलाव करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कोल्हान विश्वविद्यालय में यूजीसी प्रावधान के अंतर्गत CBCS में निर्धारित मानको के अनुसार परीक्षा ली गयी है। अगर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में भी स्पेशल परीक्षा के आयोजन हेतु सरकार से अनुरोध किया जाता है, तो सरकार इस पर विचार करेगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–114 / 2023 2531 / रॉची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को उनके पत्रांक–2259 दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–26 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड मुख्यालय स्थित डिग्री महाविद्यालय बरकट्ठा में शिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जिस कारण गरीब छात्र/छात्रा उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। डिग्री महाविद्यालय बरकट्ठा का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा निर्मित भवन के हस्तांतरण की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में डिग्री महाविद्यालय बरकट्ठा में शिक्षण कार्य/पढ़ाई अविलंब प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विश्वविद्यालय द्वारा भवन हस्तांतरण के पश्चात् अगामी शैक्षणिक सत्र से आवश्यकता आधारित शिक्षकों (need based teachers) से नियमित नियुक्ति होने तक पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–121/2023 2539 रॉंची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2252, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

पंचम झारखण्ड विधान सभा का त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 19.12.2023 को श्रीमती सुनिता चौधरी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–55 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिला के गोला प्रखण्ड के केनके गाँव में 35 एकड़ भूमि पर 150 करोड़ रुपये की लागत से बना राज्य का पहला व देश का दूसरा महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराने से क्षेत्र के लोगों में आस जगी थी, कि हमारी बच्चियां भी अब इंजीनियर बन सकेंगी लेकिन सरकार ने महिला इंजीनियरिंग कॉलेज को निजी विश्वविद्यालय को सौंपने का फैसला ले लिया है इससे महिला सशक्तीकरण पर गहरा आघात पहुंचा है;	1. विभागीय संकल्प सं0 917 दिनांक 17.10.2022 द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय गोला का संचालन PPP Mode पर करने हेतु Arka Educational & Cultural Trust, Bangalore का चयन करते हुए संस्थान का हस्तगत कराया गया है। उक्त संस्थान में राज्य के छात्र/छात्राओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट आरक्षित रखा जाना है, जिसमें से 15% सीट पर राज्य के छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकारी संस्थान के लिए निर्धारित शुल्क पर होगा। उक्त संस्थान का NIRF Ranking-2020 में 85 तथा 2021 में 99 Rank है, जिससे राज्य के छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।
2. क्या यह बात सही है, कि राज्य में फिलहाल 15 इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमे बीआईटी सिंदरी को छोड़कर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है तीन इंजीनियरिंग कॉलेज पीपीपी मोड से संचालित है निजी क्षेत्र के एवं पीपीपी मॉडल निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार के शर्तों के अनुसार संचालित नहीं होने के कारण छात्र-छात्राएँ नामांकन नहीं लेते है जिस के कारण महाविद्यालय को निजी विश्वविद्यालय के रूप में बदलने से छात्र-छात्राओं को भारी भरकम फीस देना पड़ेगा जिसका लाभ भी निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय के संचालक को मिलेगा तथा राज्य का करोड़ों रुपया का राजस्व नुकसान होगा;	2. राज्य में फिलहाल 16 इंजिनियंरिंग कॉलेज संचालित हैं जिसमें दो (02) अभियंत्रण महाविद्यालय यथा बी0आई0टी0 सिन्दरी एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू सरकारी क्षेत्र में संचालित है। – तीन इंजिनियंरिंग कॉलेज PPP Mode पर संचालित है एवं शेष 11 निजी इंजिनियंरिंग कॉलेज है। – सरकारी, निजी क्षेत्र एवं PPP Mode के इंजिनियंरिंग कॉलेज को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष हेतु AICTE से मान्यता और तदुपरान्त झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राँची के द्वारा संबद्धता प्रदान की जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में गोला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज को निजी विश्वविद्यालय को सौंपने के निर्णय को वापस लेते हुए राज्य सरकार स्वयं संचालित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	– 3. उपयुक्त कंडिका 2 के आलोक में राज्य सरकार के पास वर्तमान में अभियंत्रण महाविद्यालय गोला, रामगढ़ को निजी विश्वविद्यालय को सौंपने का निर्णय वापस लेने का प्रस्ताव नहीं है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0/वि0स0–15/2023 1193 /राँची, दिनांक– 18.12.23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक 2304 दिनांक 14.12.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18-12-2023
(सरकार के अवर सचिव)

3359
18/12/2023

श्री उमाशंकर अकेला, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–52

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड स्थित मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय, भगहर, मध्य विद्यालय, सिधरावा एवं बरही प्रखण्ड के मध्य विद्यालय डपोक, मण्डारो अत्यन्त सुदुरवर्ती इलाके में है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इन स्थानों पर केवल मध्य विद्यालय होने से गरीब छात्र–छात्राएँ उच्च कक्षाओं की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद अनेकों छात्र–छात्राएँ विद्यालय छोड़ देते हैं;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड अंतर्गत मध्य विद्यालय परसातरी भगहर एवं बरही प्रखण्ड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भण्डारो को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बरही प्रखण्ड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय. डपोक को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की अनुशंसा जिला से प्राप्त हुई थी, परंतु निर्धारित मानक अंतर्गत प्रस्ताव नहीं रहने के आलोक में संबंधित विद्यालय के संबंध में राज्यस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं है। चौपारण प्रखण्ड अंतर्गत मध्य विद्यालय सिंघरावा के उत्क्रमण हेतु जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्यस्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकेगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उल्लेखित मध्य विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–02 में उत्तर सन्निहित है।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–233/2023......3359...... **राँची, दिनांक** 18/12/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–28 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के विश्व विद्यालयों में कुलपति का पद, कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, प्रोफेसर का पद खाली है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 40% से ज्यादा शिक्षक का पद रिक्त है जिससे पठन–पाठन प्रभावित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या–1040 दिनांक–11.05.2023 के आलोक में स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों तथा गेस्ट फैकल्टी का प्रावधान किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तत्काल रिक्त पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संबंधित रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है कुलपति के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव की नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

ज्ञापांक–01 / वि0स0–128 / 2023 2519 / रॉची, दिनांक 18/12/2023 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2256 दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–51

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय झीनाकी का भवन जो शिक्षा विभाग द्वारा बनाया आ रहा है, वह अब तक अधुरा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उत्क्रमित मध्य विद्यालय झीनाकी का विद्यालय भवन का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का विद्यालय के पुराने भवन में निर्मित कुल सात कमरो में पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निर्माणाधीन भवन को यथाशीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उत्क्रमित मध्य विद्यालय झीनाकी का विद्यालय भवन निर्माण के लिए चयनित संवेदक मेसर्स पारसनाथ सिंह द्वारा मार्च 2016 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। उक्त विद्यालय का दो मंजिला भवन का छत ढलाई पूर्ण हो चुका है। आंशिक रूप से प्लास्टर का कार्य पूर्ण है। तत्पश्चात संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया गया है। उक्त विद्यालय भवन के प्राक्कलित राशि रुपये 63,87,301.67/–(तिरसठ लाख सतासी हजार तीन सौ एक रुपये सड़सठ पैसे) के विरुद्ध संवेदक को रुपये 48,27,126/–(अड़तालीस लाख सताईस हजार एक सौ छब्बीस रुपये) का भुगतान किया गया है। संवेदक मेसर्स पारसनाथ सिंह को विद्यालय भवन को पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। कार्य पूर्ण नहीं करने पर संबंधित मेसर्स के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

Arun
18.12.23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि2–207/2023...1734/राँची, दिनांक....18/12....../2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2313 दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun
18.12.23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(104)

3362
18/12/2023

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–11

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोडाबाली उतरी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय, गोडाबाली में करीब 200 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं;	अंशतः स्वीकारात्मक। मध्य विद्यालय गोड़ाबाली के वर्ग 8 में मात्र 25 छात्र नामांकित है एवं कुल छात्र सं. 157 है।
2.	क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय, गोडाबाली से निकटतम उच्च विद्यालय की दूरी करीब 7 किलोमीटर होने के कारण यहाँ के विद्यार्थियों को काफी कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मध्य विद्यालय गोड़ाबाली से निकटतम 7 कि0मी0 की दूरी पर सरकारी उच्च विद्यालय राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय टांडबालीडीह संचालित है एवं 3 कि0मी0 की दूरी पर स्थापना अनुमति प्राप्त गोविन्द माध्यमिक विद्यालय संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थी हित में इसी वित्तीय वर्ष में मध्य विद्यालय, गोडाबाली को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो से मध्य विद्यालय गोड़ाबाली के उच्च विद्यालय के उत्क्रमण हेतु अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्यस्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकेगा।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–238 / 2023 3362   राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के अवर सचिव।

श्री समीर कुमार मोहन्ती, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–25 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के 13 वैधानिक प्रशासनिक पदों में मात्र 03 पद (परीक्षा नियंत्रक, वित्त सलाहकार, उप कुलसचिव) पर स्थायी नियुक्ति है, शेष सभी पद प्रभार के भरोसे चल रहें है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त महत्वपूर्ण पद खाली या प्रभार में चलने के कारण विद्यार्थीयों के परेशानियों के साथ–साथ विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ वित्त से संबंधित अहम् निर्णय लेने में परेशानियाँ हो रही है जिसके कारण विश्वविद्यालय की स्वभाविक क्रियाएं प्रभावित है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों	नियुक्ति की कार्रवाई झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

झापांक–01/वि0स0–126/2023 2533 — रॉची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2258, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–33 का उत्तर :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है, कि चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया अनुमण्डल में डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर की पढ़ाई हेतु काफी दूर जाना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सिमरिया अनुमण्डल में सिमरिया डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया (संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय) अवस्थित है, जिसमें स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है। इसके अतिरिक्त चतरा में चतरा महाविद्यालय, चतरा (अंगीभूत महाविद्यालय) एवं वनांचल महाविद्यालय, टण्डवा (स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय) अवस्थित है, जिसमें छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन कार्य किया जाता है।
02	क्या यह बात सही है, कि चतरा जिला के अनुमंडल सिमरिया के ग्राम–बन्हे में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु सेद्धान्तिक अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत होने के बावजूद अबतक डिग्री महाविद्यालय का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 321/बजट दिनांक 07.02.2023 के द्वारा डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया के निर्माण हेतु Site Specific DPR तैयार करने का निदेश झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को दिया गया है। प्रदत्त निदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया का DPR तैयार किया जा रहा है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अंचल सिमरिया के ग्राम–बन्हे में वित्तीय वर्ष– 2023–24 में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त DPR प्राप्त होने के पश्चात इसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक: 01/वि0स0–127/2023 2526 / राँची, दिनांक 18/12/2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके पत्रांक –2302, दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–02

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:--	**माननीय विभागीय मंत्री**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी वर्ष के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा छात्रवृति दी जाती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पूर्व में कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप ही सामान्य वर्ग के बच्चों को छात्रवृति दी जाती है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग द्वारा छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति की राशि की वृद्धि कर दी गई है।	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के अंतर्गत अभी भी सामान्य वर्ग के छात्रों को पुराने दर से छात्रवृति राशि दी जा रही है;	मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के अन्तर्गत छात्रों को संशोधित दर पर छात्रवृति देन हेतु स्वीकृति प्राप्त है। इस हेतु विभागीय संकल्प सं0–1706 दिनांक 15.12.2023 निर्गत है।
5.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृति राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–04 में उत्तर सन्निहित है।

Arun
16.12.23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16/वि.2.–201/2023..1720../राँची, दिनांक..16/12/2023........

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2187 दिनांक 11.12.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun
16.12.23
सरकार के अवर सचिव

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.12.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–24 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि वन उत्पाद निरीक्षक, वन उपज अधीदर्शक, रेंजर, फॉरेस्टर और वनरक्षी के सैकड़ो पद रिक्त हैं, जिससे वन संरक्षण का कार्य प्रभावित हो रहा है;</td><td>स्वीकारात्मक।
वन विभाग के वन उत्पाद निरीक्षक, वन उपज अधिदर्शक, रेंजर, फॉरेस्टर और वनरक्षी संवर्गों के स्वीकृत पद रिक्तियों की विवरणी निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>पदनाम</th><th>स्वीकृत पद</th><th>रिक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>वनोपज निरीक्षक</td><td>45</td><td>28</td></tr>
<tr><td>वनोपज अधिदर्शक</td><td>135</td><td>96</td></tr>
<tr><td>वन क्षेत्र पदाधिकारी</td><td>383</td><td>313</td></tr>
<tr><td>वनपाल</td><td>1062</td><td>1057</td></tr>
<tr><td>वनरक्षी</td><td>3883</td><td>2202</td></tr>
<tr><td>**कुल**</td><td>**5508**</td><td>**3696**</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?</td><td>झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0 में वनोपज निरीक्षक एवं वनोपज अधिदर्शक की नियुक्ति से संबंधित नियमावली प्रक्रियाधीन है। नियमावली में सरकार की स्वीकृति के उपरान्त नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी।
वन क्षेत्र पदाधिकारी की अधिसूचित नियुक्ति नियमावली में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श के आलोक में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
वनरक्षी के कुल 3883 स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्ष 2017–18 में 2015 रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई है।
वनपाल, वनरक्षी पदों में पुनः नियुक्ति हेतु नियमावली राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। नियमावली के अधिसूचित होने के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न–109/2023–4661 व0प0, दिनांक– 18/12/23

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2263, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

श्री दीपक विरूवा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–37 के संबंध में ।

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिला में विगत 5 वर्षों से 22 लौह अयस्क की खदाने बंद है ;	आंशिक स्वीकरात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि एम०एम०डी०आर० संशोधन अधिनियम 2015 के अधिनियम 8A(6) के आलोक मे 01.04.2020 से 22 लौह अयस्क खदाने बंद हैं।
क्या यह बात सही है कि खदानों के बंद होने से एक लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी से प्रभावित हुए है ;	खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित नही है।
क्या यह बात सही है कि उक्त खदानों को पुनः चालू कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है ;	खदानों की नीलामी किये जाने हेतु Mineral (Auction) Rules, 2015 (यथा संशोधित 2021) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित है। इस संबंध में समय–समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नीलामी हेतु मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश दिया जाता है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व संग्रह एवं रोजगार हित में बंद पड़े खदानों की नीलामी की प्रक्रिया अविलम्ब सम्पादित करते हुए पुनः चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	एम०एम०डी०आर० संशोधन अधिनियम 2015 के अधिनियम 8A(4) के आलोक मे Mineral (Auction) Rules, 2015 के प्रावधानों के तहत पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला के निम्न 03 लौह अयस्क खनन पट्टों की नीलामी की कार्रवाई सफलतापूर्वक की गई है:– (i) Bhangaon Iron Ore Block, West Singhbhum (ii) Meralgara-Barabaljori Iron Ore Block, West Singhbhum (iii)Baraiburu-Tatiba Iron &Mn Ore Block, West Singhbhum उपरोक्त नीलाम किये गये खदानों को चालू करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार विभिन्न खनिजों के ब्लॉक की नीलामी प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–124/2023 2195 /एम०, राँची, दिनांक:–18/12/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2294 दिनांक–14.12.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री सुदेश कुमार महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–46 का उत्तर :–

कमांक	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के प्रखण्ड राहे में एक डिग्री कॉलेज स्वीकृत है ;	स्वीकारात्मक। सिल्ली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय के स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया गया है। इस निमित सिल्ली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु उपायुक्त, रॉची द्वारा अंचल– राहे, मौजा– खटंगा, थाना नं0–84, खाता सं0– 68, प्लॉट नं0– 85 पी0, रकबा– 5.00 एकड़ स्थानांतरित किया गया है।
02	क्या यह बात सही है कि राहे में डिग्री कॉलेज के निर्माण से राँची जिले सहित इसके आस–पास के जिले यथा रामगढ़, सरायकेला–खरसावां तथा पुरूलिया (पं0 बंगाल) के विद्यार्थियों के लिए अति सुविधाजनक हो जाएगा ;	आंशिक स्वीकारात्मक। रामगढ़ जिला में रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़ एवं महिला महाविद्यालय, रामगढ़ (अंगीभूत महाविद्यालय), छोटानागपुर कॉलेज, रामगढ़ तथा इंदिरा गॉधी श्रमिक महाविद्यालय, माण्डु, रामगढ़ (संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय) संचालित है, जिसमें छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन का कार्य किया जाता है। सरायकेला–खरसावां में मॉडल महाविद्यालय, सरायकेला–खरसावां, डिग्री महाविद्यालय, खरसावां, महिला महाविद्यालय, खरसावां तथा सिंहभूम महाविद्यालय, चांडिल (अंगीभूत महाविद्यालय) अवस्थित है, जहॉ छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन कार्य किया जाता है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राँची जिले के प्रखण्ड राहे में स्वीकृति डिग्री कॉलेज का निर्माण शीघ्र–अतिशीघ्र प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के द्वारा डिग्री महाविद्यालय, सिल्ली के Site Specific DPR पर तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात निगम से तकनीकी स्वीकृत DPR प्राप्त होने पर इसके स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक: 01/वि0स0–124/2023 2525 / रॉची, दिनांक 18/12/2023/

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक –2300, दिनांक 14.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

श्री विकास कुमार मुण्डा स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–19.12.2023 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–58 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	**उत्तर दाता**
श्री विकास कुमार मुण्डा, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रखण्ड बुण्डू, अड़की और तमाड़ में अबतक एक भी हॉकी टर्फ सेंटर अथवा क्रिकेट/फुटबॉल के लिए कोई प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें ट्रेनर भी उपलब्ध हो को नहीं खोला गया है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** तमाड़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बुण्डू प्रखण्ड में फुटबॉल का 01 डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र, तमाड़ प्रखण्ड में हॉकी का 01 एवं फुटबॉल का 01 डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र तथा अड़की प्रखण्ड में हॉकी का 02 डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है, जिसमें विभागीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करते है। क्रिकेट ओलम्पिक गेम्स में शामिल खेल नहीं होने के कारण अद्यावधि विभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर है। राँची जिला मुख्यालय एवं खूँटी जिला मुख्यालय में हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान निर्मित है।
2	क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा इस वर्ष भी तमाड़ विधानसभा स्तरीय–7 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था जिसमें मेरे द्वारा दिनांक–28.10.2023, पत्रांक सं०–574 के माध्यम से मांग की गई थी कि संबंधित खेल पदाधिकारी उक्त खेल में शामिल हो बेहतरीन खिलाड़ियों की पहचान कर उसे आगे बढ़ने में विभागीय सहयोग करें परन्तु उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** उपायुक्त कार्यालय, राँची के पत्रांक–369, दिनांक–06.11.2023 के द्वारा विभागीय डे–बोर्डिंग प्रशिक्षक (हॉकी एवं फुटबॉल) को उक्त खेल प्रतियोगिता में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया था जिसका अनुपालन संबंधित प्रशिक्षकों द्वारा किया गया। उपायुक्त कार्यालय, राँची के पत्रांक–446/जि०खे०, दिनांक–16.12.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है भविष्य में इस प्रतियोगिता के आयोजन हेतु संबंधित जिला क्रीड़ा पदाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान/सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तमाड़ विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखण्ड में हॉकी टर्फ सेंटर और क्रिकेट एवं फुटबॉल प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें ट्रेनर भी उपलब्ध हो का गठन/निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	**उत्तर कंडिका–1 में निहित है।** उपायुक्त, राँची एवं खूँटी से संबंधित प्रखण्डों में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित प्रखण्डों में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान निर्माण की उपयुक्तता एवं आवश्यकता का आकलन करते हुए बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–100/2023 2279/ राँची, दिनांक 18.12.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2291/वि०स०, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/23

सरकार के उप सचिव

श्री विकास कुमार मुण्डा स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–19.12..2023 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–58 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री विकास कुमार मुण्डा, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रखण्ड बुण्डू, अड़की और तमाड़ में अबतक एक भी हॉकी टर्फ सेंटर अथवा क्रिकेट/फुटबॉल के लिए कोई प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें ट्रेनर भी उपलब्ध हो को नहीं खोला गया है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** तमाड़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बुण्डू प्रखण्ड में फुटबॉल का 01 डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र, तमाड़ प्रखण्ड में हॉकी का 01 एवं फुटबॉल का 01 डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र तथा अड़की प्रखण्ड में हॉकी का 02 डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है, जिसमें विभागीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करते है। क्रिकेट ओलम्पिक गेम्स में शामिल खेल नहीं होने के कारण अद्यावधि विभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर है। राँची जिला मुख्यालय एवं खूँटी जिला मुख्यालय में हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान निर्मित है।
2	क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा इस वर्ष भी तमाड़ विधानसभा स्तरीय–7 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था जिसमें मेरे द्वारा दिनांक–28.10.2023, पत्रांक सं०–574 के माध्यम से मांग की गई थी कि संबंधित खेल पदाधिकारी उक्त खेल में शामिल हो बेहतरीन खिलाड़ियों की पहचान कर उसे आगे बढ़ने में विभागीय सहयोग करें परन्तु उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** उपायुक्त कार्यालय, राँची के पत्रांक–369, दिनांक–06.11.2023 के द्वारा विभागीय डे–बोर्डिंग प्रशिक्षक (हॉकी एवं फुटबॉल) को उक्त खेल प्रतियोगिता में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया था जिसका अनुपालन संबंधित प्रशिक्षकों द्वारा किया गया। उपायुक्त कार्यालय, राँची के पत्रांक–446/जि०खे०, दिनांक–16.12.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है भविष्य में इस प्रतियोगिता के आयोजन हेतु संबंधित जिला क्रीड़ा पदाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान/सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तमाड़ विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखण्ड में हॉकी टर्फ सेंटर और क्रिकेट एवं फुटबॉल प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें ट्रेनर भी उपलब्ध हो का गठन/निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	**उत्तर कंडिका–1 में निहित है।** उपायुक्त, राँची एवं खूँटी से संबंधित प्रखण्डों में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित प्रखण्डों में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान निर्माण की उपयुक्तता एवं आवश्यकता का आकलन करते हुए बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–100/2023 2279/ राँची, दिनांक 18.12.2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2291/वि०स०, दिनांक–14.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/23

सरकार के उप सचिव